



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032023-244432
CG-DL-E-17032023-244432

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]
No. 154]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 16, 2023/फाल्गुन 25, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 16, 2023/PHALGUNA 25, 1944

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2023

सा.का.नि. 193(अ).—पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2022 का प्रारूप भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) की अधिसूचना सा.का.नि. 656 (अ) में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, के तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 25 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 की उप-धारा (1) और (2) के खंड (डक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 1256 (अ) तारीख 24 दिसम्बर, 2001 के द्वारा किए गए, उन बातों के निवारण जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया हो, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं : (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

- (क) “अधिनियम” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है;
- (ख) “पशु जन्म नियंत्रण केंद्र” से शल्य अवसंरचना, पशु संचालित देखभाल केनल, क्वारंटाइन केनल, आइसोलेशन केनल, कुत्ता परिवहन यान के साथ आवश्यक सैन्य तंत्र और बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसी अन्य सुविधाओं के साथ एक पशु चिकित्सा सुविधा है, जिसे मार्ग के कुत्ते पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन हेतु निर्मित किया जाता है, अभिप्रेत है;
- (ग) “पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम” से इन नियमों के अधीन पशुओं का स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संस्थान द्वारा पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाना अभिप्रेत है;
- (घ) “पशु आश्रय” से वह स्थान अभिप्रेत है जहां आवारा या गली के या परित्यक्त पशुओं को गोद लेने या पुनर्वास, बीमार या घायल होने पर साधारण उपचार के लिए रखा जाता है;
- (ङ) “पशु कल्याण समिति” से इन नियमों के अधीन सामुदायिक कुत्तों को खाना खिलाने के समाधान हेतु गठित समिति अभिप्रेत है;
 - (च) “पशु कल्याण संगठन” से पशुओं के कल्याण के लिए काम करने वाला कोई भी संगठन अभिप्रेत है जो 1860 के सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और बोर्ड की विद्यमान नीति के अनुसार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त है;
- (छ) “बोर्ड” से भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित किया गया है और धारा 5क के अधीन पुनर्गठित किया गया है;
- (ज) “प्रमाण-पत्र” से इन नियमों के अधीन पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के प्रयोजन से किसी भी पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण को बोर्ड द्वारा जारी परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;
- (झ) “समिति” से नियम 9 के अधीन स्थापित एक निगरानी समिति अभिप्रेत है;
- (ञ) “सामुदायिक पशु” से किसी समुदाय में पैदा हुआ कोई भी पशु, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन परिभाषित जंगली जानवरों को छोड़कर जिसके लिए किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी स्वामित्व का दावा नहीं किया गया अभिप्रेत है;
- (ट) “निरिक्षण दल” से नियम 14 के अधीन बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा अधिकृत टीम अभिप्रेत है;
- (ठ) “क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी” से क्षेत्र के पशुपालन विभाग के शासकीय पशु चिकित्सालय में तैनात पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ड) “स्थानीय प्राधिकरण” से विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के अधीन किसी भी मामले के नियंत्रण और प्रशासन के साथ एक नगरपालिका समिति, नगर परिषद, जिला प्रशासन, जिला पंचायत/बोर्ड, छावनी बोर्ड या विधि द्वारा निवेशित अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ढ) “मॉड्यूल” से कुत्तों की आबादी के प्रबंधन और रेबीज उन्मूलन के लिए बोर्ड द्वारा समयसमय पर प्रकाशित और अद्यतन लिखित दस्तावेज अभिप्रेत है, जो आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के रूप में काम करेगा;
- (ण) “स्वामी” से किसी पशु का स्वामी अभिप्रेत है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति या संस्था संगठन सम्मिलित है जिसके कब्जे या अभिरक्षा में चाहे वह स्वामी की सहमति से हो या उसके बिना ऐसा पशु है;
- (त) “परियोजना प्रभारी” से स्थानीय प्राधिकरण द्वारा आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैनात पशु चिकित्सा अधिकारी ऐसा पशु है। स्थानीय प्राधिकरण का परियोजना प्रभारी स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार के नियमित पेट्रोल पर एक पशु चिकित्सा अधिकारी होगा;
- (थ) “परियोजना मान्यता समिति” से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की परियोजना मान्यता के लिए आवेदनों की जांच और छटनी के लिए बोर्ड द्वारा गठित समिति अभिप्रेत है;

- (द) “राज्य बोर्ड” से राज्य सरकार द्वारा राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ध) “पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत स्थापित एक पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (न) “पशु चिकित्सा व्यवसायी” से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक पशु चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं।

3. **परियोजना मान्यता :** (1) स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर सकता है, या यदि अपेक्षित हो, तो स्थानीय प्राधिकरण एक पशु कल्याण संगठन की सेवाओं को संलग्न कर सकता है जिसे बोर्ड द्वारा पशु जन्म नियंत्रण हेतु सम्यक रूप में मान्यता प्रदान है और जिसके पास पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण, विशेषज्ञता और मानव संसाधन हैं।

- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट दोनों शर्तों के अधीन, बोर्ड से एक परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आज्ञापक होगा।
- (3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या संगठन बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के बिना मार्ग के कुत्तों लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम शुरू, संचालित या आयोजित नहीं करेगा।
- (4) कोई भी पशु कल्याण संगठन जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अनुबंध करने के लिए निहर्षित नहीं है, वह पहली अनुसूची में उपाबद्ध प्ररूप-1 में अपना आवेदन पांच हजार रूपए मात्र की गैर-वापसी शुल्क के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करके परियोजना मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है।
- (5) इन नियमों के अधीन परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले किसी भी पशु कल्याण संगठन को बोर्ड द्वारा पहले से ही एक पशु कल्याण संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- (6) यदि कोई स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो स्थानीय प्राधिकरण का परियोजना प्रभारी बोर्ड को सूचित करेगा तथा अन्य सभी शर्तें और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉड्यूल लागू होंगे।
- (7) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को प्रत्येक अलग पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए अलग-अलग आवेदन करने की अपेक्षा होगी।
- (8) परियोजना मान्यता की मांग करने वाले आवेदक को प्रत्येक पशु चिकित्सक के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / राज्य पशु चिकित्सा परिषद द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसे विशेष परियोजना पर तैनात किया जाएगा। आवेदक को सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी और आवेदक द्वारा तैनात किए जाने के लिए प्रस्तावित पशु चिकित्सकों में से कम से कम एक चिकित्सक को भारत में कहीं भी न्यूनतम दो हजार पशु जन्म नियंत्रण सर्जरी आयोजित करने का कुल संयुक्त अनुभव होना चाहिए।
- (9) बोर्ड परियोजनाओं की मान्यता के लिए एक परियोजना मान्यता समिति का गठन करेगा;
- (10) बोर्ड परियोजना मान्यता के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित राज्य के पशुपालन विभाग को प्रस्तावित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करने और बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉड्यूल के अनुसार अपेक्षित सुविधाओं की उपलब्धता की पुष्टि करने और निरीक्षण करने का निर्देश देगा और बोर्ड से पत्र प्राप्त होने पर तीस दिनों की अवधि के भीतर एक दल द्वारा निरीक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-
 - i) जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी;
 - ii) राज्य पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के नोडल अधिकारी;

- iii) बोर्ड या राज्य बोर्ड का प्रतिनिधि;
 - iv) पशु शल्य चिकित्सा या पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाला एक विशेषज्ञ।
- (11) निरीक्षण दल को निरीक्षण की तारीख से दस दिनों की अवधि के अन्दर बोर्ड द्वारा निर्धारित निरीक्षण प्रपत्र के अनुसार निरीक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
 - (12) परियोजना मान्यता समिति, उप-नियम (10) के अधीन निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और संतुष्ट होने पर कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, परियोजना पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की मान्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने की सिफारिश कर सकती है।
 - (13) परियोजना मान्यता समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड निरीक्षण प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अन्दर इन नियमों के अधीन विशिष्ट परियोजना के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जो अहस्तांतरणीय होगा।
 - (14) स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी या संगठन के पशु चिकित्सक यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है और ऐसा प्रमाण-पत्र निरीक्षण प्राधिकारी के अनुरोध पर भी प्रस्तुत किया जाएगा।
- 4. मान्यता से इंकार:-**बोर्ड इन नियमों के अधीन स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा संचालित किसी भी परियोजना को मान्यता नहीं देगा, यदि –
- (1) स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी यदि झूठी पाई जाती है या आवेदक ने आवेदन में जानबूझकर गलत विवरण दिया है या बोर्ड को मिथ्या या गढ़ा हुआ अभिलेख प्रदान किया है;
 - (2) इन नियमों के अधीन मान्यता के लिए आवेदन जमा करने से पहले किसी भी स्तर पर पशु कल्याण संगठन, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रख्यापित किसी अन्य राज्य या केंद्रीय अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि के अधीन पशुओं या पशुओं से संबंधित किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
 - (3) पशु कल्याण संगठन ने निरीक्षण दल को पूरे परिसर या परिसर के हिस्से में निरीक्षण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, या इन नियमों के अधीन अनिवार्य दस्तावेजों या किसी भी अभिलेख तक पहुंचने से इनकार कर दिया है।
 - (4) यदि परियोजना मान्यता समिति का यह विचार है कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, तो बोर्ड उपरोक्त नियम 3(11) के अनुसार निरीक्षण दल से रिपोर्ट प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित में कारण बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।
- 5. मान्यता के बिना प्रतिषेध:-**मार्ग के कुत्तों के लिए कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम तब तक आयोजित नहीं किया जाएगा जब तक कि स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन ने इन नियमों के अधीन इस तरह के कार्यक्रम के संचालन के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया हो;
- परंतु कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट कोई स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन छह महीने की अवधि के भीतर परियोजना मान्यता के प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने में विफल रहता है या इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट किसी भी कारण से परियोजना मान्यता से इंकार कर दिया गया है, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकरण ऐसे पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को बंद कर देगा। यदि कोई कुत्ते पकड़े जा रहे हैं या शल्य क्रिया की जा रही है तो उसे तत्काल रोक दिया जाएगा और सभी कुत्तों का इलाज परियोजना प्रभारी या किसी पशु कल्याण संगठन के द्वारा किया जाएगा, जब तक कि वे रिहा होने के लिए फिट न हों।
- 6. मान्यता का नवीनीकरण:-** (1) बोर्ड द्वारा जारी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के लिए परियोजना मान्यता का प्रमाण-पत्र मान्यता की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और इन नियमों के अधीन बोर्ड को एक आवेदन प्राप्त होने पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

- (2) मान्यता के नवीनीकरण के लिए एक आवेदन, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए परियोजना मान्यता की समाप्ति से कम से कम साठ दिन पहले, बोर्ड को पहली अनुसूची में संलग्न प्ररूप- IV में पांच हजार रुपये के गैर-वापसी योग्य नवीकरण शुल्क के साथ किया जाएगा तथा नियम 3 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
 - (3) नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और संतुष्ट होने पर कि पशु जन्म नियंत्रण केंद्र इन नियमों के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन होने पर, बोर्ड पहली अनुसूची के साथ संलग्न प्ररूप – V में दिए गए प्रारूप में नवीनीकरण जारी कर पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की परियोजना मान्यता के प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कर सकता है।
 - (4) बोर्ड द्वारा जारी परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र के लिए नवीनीकरण तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, यह इन नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा एक आवेदन और नवीनीकरण शुल्क प्राप्त होने पर नवीकरणीय होगा।
- 7. पशुओं का वर्गीकरण:-** इन नियमों के प्रयोजन के लिए वर्गीकृत पशु इस प्रकार हैं:
- (1) पालतू पशु- व्यक्तियों के स्वामित्व में एवं घर के अंदर रखे जाने वाले कुत्ते;
 - (2) मार्ग के कुत्तों या समुदाय के स्वामित्व वाले भारतीय कुत्ता या परित्यक्त वंशावली वाले कुत्ते जो बेघर हैं, मार्ग या एक दरवाजों वाले परिसर में रहते हैं।
- 8. टीकाकरण और बंध्याकरण का उत्तरदायित्व:-** (1) पालतू पशुओं के मामले में पशु का स्वामी कृमि मुक्तिकरण, प्रतिरक्षकण और नसबंदी के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) मार्ग में रहने वाले पशुओं के मामले में, स्थानीय प्राधिकरण कृमि मुक्तिकरण टीकाकरण और नसबंदी के लिए उत्तरदायी होगा और इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक पशु कल्याण संगठन को नियुक्त कर सकता है।
- 9. निगरानी समितियों का गठन और उसके कार्य:-** रेबीज के उन्मूलन और मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए इन नियमों के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा और निगरानी समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाएगा:-
- (1) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न हितधारकों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज उन्मूलन के हेतु एक केंद्रीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा;
 - (2) समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची –II में निर्धारित किए जाएंगे;
 - (3) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्तर पर एक राज्य पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति राज्य भर में वैज्ञानिक और चरणबद्ध रीति से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समन्वय करेगी। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची –II में निर्धारित किए जाएंगे; और
 - (4) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरण स्तर पर एक स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति का गठन और उसके कार्य अनुसूची – II में गठित किए जाएंगे।
- 10. स्थानीय प्राधिकरण के दायित्व:-**
- (1) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:-
 - (क) पर्याप्त संख्या में केनल और पशु चिकित्सा अस्पताल सुविधाएं जो स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रबंधित की जा सकती हैं;
 - (ख) कुत्तों के सुरक्षित संचालन और परिवहन के लिए आवश्यक रूपान्तरणों से युक्त अपेक्षित संख्या में वैन;

- (ग) छोटे स्थानीय निकायों, जहां आवश्यक समझा जाता है और जहां पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल के लिए केनल उपलब्ध हैं, के लिए नसबंदी और टीकाकरण के लिए मोबाइल सेंटर के रूप में शल्य अवसंरचना से लैस एक मोबाइल ऑपरेशन थिएटर वैन;
- (घ) अंगों और शवों के निपटान के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भस्मक स्थापित किए जाएं और जहां भस्मक संभव नहीं है, वहां गहरी दफन विधि अपनाई जा सकती है।
- (ङ) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की आवधिक मरम्मत और रख-रखाव।
- (च) पूरे परिसर में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी), विशेष रूप से ऑपरेशन थिएटर में और जहां पशुओं को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में रखा जाता है, उनकी वीडियो निगरानी के रिकॉर्ड को बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कम से कम एक महीने के लिए रखना होगा जिससे इन्हें जांच या अनुरोध पर निरीक्षण प्राधिकारी, निगरानी समिति या बोर्ड के लिए उपलब्ध कराया जा सके।
- (छ) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में हर समय साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए।
- (ज) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में लाए गए सभी जानवरों को पकड़ने, छोड़ने, दवा, शल्यक्रिया, भोजन, टीकाकरण का अभिलेख रखा जाना चाहिए।
- (2) यदि पशु कल्याण संगठन की सेवाएं ली गई हैं, तो स्थानीय प्राधिकरण नियमित आधार पर नसबंदी / टीकाकरण के खर्चों की प्रतिपूर्ति करेगा।
- (3) स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति का आकलन करने के लिए हर महीने कम से कम एक बार बैठक करेगा।
- (4) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर स्थानीय प्राधिकरण इन नियमों के उल्लंघन के मामले की जांच करेगा और स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति या बोर्ड की सिफारिश के आधार पर ऐसे संगठन के साथ किसी भी जुड़ाव को समाप्त या निलंबित करेगा।
- (5) स्थानीय प्राधिकरण अपने स्वयं के कर्मचारियों के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाकर पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन कर सकता है और नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसार बोर्ड को सूचित कर सकता है।
- (6) विशेष प्रयोजन वाहन संविदात्मक या पूर्णकालिक पशु चिकित्सकों, संचालकों, चालकों और सह-पशु चिकित्सकों को किराए पर लेगा जो कार्यक्रम को लागू करेंगे और ऐसे पशु जन्म नियंत्रण परियोजना के किसी भी भाग को किसी अन्य अभिकरण को उप-किराये पर नहीं देंगे।
- (7) स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा रखे गए कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है और वे इन नियमों की सभी शर्तों एवं मॉड्यूल का पालन कर रहे हैं तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परियोजना प्रभारी विशेष प्रयोजन वाहन का भाग नहीं होगा।
- 11. पकड़ना या नसबंदी या टीकाकरण या छोड़ना:-**(1) मार्ग के कुत्तों को पकड़ने का कार्य केवल निम्नलिखित कारणों से किया जाएगा:
- (क) **साधारण प्रयोजन:** जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण निगरानी समितियों के परामर्श से एक विशिष्ट इलाके या क्षेत्र में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से मार्ग के कुत्तों की अधिक आबादी को नियंत्रित करने का विनिश्चय करेगा।
- (ख) **विशिष्ट शिकायतें:** जिसके लिए स्थानीय प्राधिकरण निगरानी समिति के परामर्श से पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में एक पशु शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करेगा, जो रेबीज से पीड़ित होने की संदिग्धता वाले मार्ग के कुत्तों द्वारा काटे जाने की जानकारी या शिकायत प्राप्त करेगा।
- (2) कुत्तों को पकड़ने वाली टीम में निम्न सम्मिलित होंगे:

- (i) वैन का चालक
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के दो या दो से अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी जो मार्ग के कुत्तों को मानवीय रूप से पकड़ने में प्रशिक्षित हैं; और
 - (iii) किसी भी पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि जो इस प्रयोजन के लिए नामांकित किया गया है;

परंतु, कुत्ता पकड़ने वाले दल के प्रत्येक सदस्य के पास स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र होना चाहिए।
- (3) किसी भी इलाके में मार्ग के कुत्तों को पकड़ने से पहले, स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के प्रतिनिधि बैनर / सार्वजनिक नोटिस द्वारा निवासियों को सूचित करते हुए घोषणा करेंगे कि जानवरों को नसबंदी के प्रयोजन से उस क्षेत्र से पकड़ा जाएगा और टीकाकरण तथा नसबंदी के पश्चात उसी क्षेत्र में वापिस छोड़ दिया जाएगा।
 - (4) घोषणा क्षेत्र के निवासियों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में भी संक्षिप्त में शिक्षित कर सकती है और सभी निवासियों के समर्थन के लिए उन्हें आश्वस्त कर सकती है कि स्थानीय प्राधिकरण उनकी सुरक्षा और पशुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है और ऐसे प्रयास प्रत्येक पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में भी संस्थापित किए जाएंगे।
 - (5) पशुओं को पकड़ने में मानवीय रीतियों का उपयोग किया जाएगा जैसे कि जाल से पकड़ना या हाथ से पकड़ना या किसी अन्य रीति से जो पशु को कम परेशान करता हो। कुत्तों को पकड़ने के लिए चिमटे या तारों का प्रयोग करना सख्त रूप से वर्जित होगा।
 - (6) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र की आवास क्षमता के अनुसार केवल निर्धारित संख्या में ही पशुओं को पकड़ा जाएगा।
 - (7) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में एक निश्चित समय पर केवल एक क्षेत्र के पशुओं को ही नसबंदी, टीकाकरण के लिए लाया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के कुत्तों को संपर्क में आने से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए।
 - (8) पकड़े गए सभी कुत्तों की पहचान पशु जन्म नियंत्रण केंद्र पर पहुंचने के तुरंत बाद एक नंबर वाले कॉलर से की जाएगी। यह संख्या पकड़े गए श्वानों के रिकॉर्ड के अनुरूप होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक कुत्ते को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाए जहां से उसे पकड़ा गया था।
 - (9) छह महीने से कम उम्र वाले मार्ग के कुत्ते को पकड़ा नहीं जाएगा और उनकी नसबंदी नहीं की जाएगी और पिल्लों के साथ मादा पशुओं को तब तक नसबंदी के लिए नहीं पकड़ा जाएगा जब तक कि उनके बच्चे दो महीने के न हो जाए।
 - (10) पकड़े गए पशुओं को बोर्ड से परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र वाले और स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रबंधित पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में लाया जाएगा जहां पशु चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और स्वस्थ पशुओं को बीमार या घायल पशुओं से अलग रखना चाहिए। परंतु बीमार या घायल पशुओं को पर्याप्त उपचार दिया जाना चाहिये तथा उपचारित जानवरों के ठीक होने के बाद ही उनकी नसबंदी की जानी चाहिए।
 - (11) केनल जहां कुत्तों को रखा जाता है, प्रत्येक केनल के दरवाजे पर इलाके का नाम स्पष्ट रूप से लिखकर चिह्नित किया जाना चाहिए। अलग-अलग कुत्तों के लिए केनल कम से कम तीन फीट चौड़े, चार फीट गहरे और कम से कम छः फीट ऊंचे होने चाहिए। तीन से पांच कुत्तों के लिए केनल भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जहां प्रत्येक कुत्ते को कम से कम तीन फीट गुणा चार फीट की जगह मिले।
 - (12) केनल में लोहे की खड़ी छड़ों का दरवाजा या गेट होना चाहिए एवं सभी सलाखों के बीच का अंतराल दो इंच से अधिक नहीं होना चाहिए तथा खराब मौसम में छाया और आश्रय प्रदान करने और कुत्तों को भगने से रोकने के लिए पर्याप्त छत आवश्यक है।
 - (13) केनल का डिजाइन करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि केनल के माध्यम से हवा का पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन है और केनल के पीछे का भाग उठा हुआ डिजाइन किया जाना चाहिए जहां कुत्ते आराम से सो सकें और सफाई की सुविधा के लिए सभी केनल में उचित जल निकासी व्यवस्था होनी चाहिए।

- (14) एक ही परिवार / समाजिक समूह के कुत्तों को एक ही केनल में रखा जा सकता है। नर और मादा कुत्तों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए तथा कुत्तों को शल्य क्रिया से पहले बारह घंटे तक क्वरंटाइन केनल में बिना भोजन या पानी के रखा जाना चाहिए।
 - (15) एक अच्छी तरह से सुसज्जित ऑपरेशन थियेटर में स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारियों की विशेष देख-रेख में एक पशु चिकित्सक द्वारा नसबंदी शल्य क्रिया और टीकाकरण किया जाना चाहिए और बोर्ड द्वारा मॉड्यूल में अनुमोदित निर्धारित शल्य प्रक्रियाएं और न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान की जायेंगी।
 - (16) नसबंदी शल्य क्रिया के दौरान प्रत्येक कुत्ते के दाहिने कान पर एक 'वी' आकार का निशान बनाया जाएगा और कान की ऐसे कतरन से कुत्ते के मार्ग में वापस आने के बाद उसे बंध्याकृत और प्रतिरक्षित के रूप में पहचानने में मदद मिलती है तथा कुत्तों की ब्रांडिंग की अनुमति नहीं होगी।
 - (17) शल्यक्रिया से ठीक होने के पश्चात, कुत्तों की नसबंदी के बाद कम से कम चार दिनों के लिए केनल में रखा जाएगा ताकि पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल हो सके और प्रत्येक कुत्ते को दिन में दो बार पर्याप्त और स्वस्थ भोजन और हर समय पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। नर और मादा कुत्तों को अलग-अलग रखा जाना चाहिए।
 - (18) पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में कुत्तों की उचित आवास एवं मुक्त आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह होगी और उस जगह में उचित संवातन तथा प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए और इसे साफ रखना चाहिए।
 - (19) कुत्तों को उसी स्थान या इलाके में वापिस छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था और उनकी रिहाई की तारीख, समय और स्थान ठीक प्रकार से दर्ज किया जाएगा एवं रिहाई के समय स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि टीम के साथ होगा और समय-समय पर, बोर्ड कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने के दौरान उनके स्थान की जियो-टैगिंग के लिए उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान कर सकता है।
 - (20) पशु जन्म नियंत्रण शल्यक्रिया को सुरक्षित और मानवीय रूप से करने के लिए, कार्यान्वयन अभिकरण समय-समय पर मॉड्यूल में मानक संचालन प्रक्रियाओं के संबंध में बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी।
- 12. रखे जाने वाले अभिलेख:-**स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन के परियोजना प्रभारी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में निम्नलिखित अभिलेख रखेंगे जिन्हें दैनिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए:-
- (1) पकड़े गए जानवरों का अभिलेख निम्नलिखित सहित:
 - (i) उस क्षेत्र / इलाके का नाम जहां से कुत्ते को पकड़ा गया था;
 - (ii) पकड़ने की तारीख और समय;
 - (iii) पकड़ने के लिए उत्तरदायी कैप्चरिंग दस्ते के व्यक्तियों के नाम;
 - (iv) पकड़े गए कुत्तों के बारे में विवरण – कुत्ता की टैग संख्या, नर, मादाओं की संख्या, रंग, पहचान चिन्ह और अनुमानित आयु;
 - (v) रिहाई की तारीख एवं समय; और
 - (vi) उस क्षेत्र / इलाके का नाम जहां पर कुत्ता को रिहा किया गया।
 - (2) प्रत्येक केनल के लिए फीडिंग अभिलेख और खाद्य सूची।
 - (3) प्रत्येक कुत्ते के लिए उपचार अभिलेख।
 - (4) दवाईयां और वैक्सीन इन्वेंटरी।
 - (5) मृत्यु दर अभिलेख।
 - (6) शल्य उपकरण आदि सहित उपकरण सूची।
 - (7) श्वान वैन लॉगबुक।
 - (8) कर्मचारी उपस्थिति अभिलेख।

(9) अंग निरीक्षण अभिलेख।

(10) पिछले तीस दिनों के सीसीटीवी फुटेज।

13. रिपोर्ट:-स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी या पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन करने वाले पशु कल्याण संगठन के पशु चिकित्सक प्रभारी, जिन्होंने इन नियमों के अधीन परियोजना मान्यता प्राप्त की है:-

(i) अनुसूची-III और IV में उपबंधित प्रारूपों में निम्नलिखित विवरणों के साथ बंध्याकृत और टीकाकरण किए गए मार्ग के कुत्तों की संख्या की मासिक प्रगति रिपोर्ट स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति को प्रस्तुत करें:-

(क) पकड़े गए मार्ग के कुत्तों की कुल संख्या;

(ख) नसबंदी किये गये मार्ग के कुत्तों की कुल संख्या;

(ग) केवल अवलोकन के लिए रखे गए मार्ग के कुत्तों की कुल संख्या;

(घ) शल्यक्रिया के पहले, दौरान या बाद में मरने वाले कुत्तों की कुल संख्या;

(ङ) परियोजना से जुड़े प्रत्येक पशु चिकित्सक का नाम और योग्यता तथा महीने के दौरान प्रत्येक पशु चिकित्सक द्वारा बंध्याकृत कुत्तों की संख्या;

(च) प्रत्येक पशु चिकित्सक का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा उसके द्वारा पिछले हर एक महीने में की गई पशु जन्म नियंत्रण शल्यक्रिया की संख्या;

(छ) अनुसूची -III में प्रपत्र में प्रत्येक पशु चिकित्सक द्वारा की गई शल्यक्रिया के विरुद्ध पोस्ट-ऑपरेटिव जटिलताओं और मृत्यु दर की संख्या;

(ii) हर वर्ष 31 मई तक राज्य पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के माध्यम से बोर्ड को 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष के दौरान पकड़े गए, बंध्याकृत, प्रतिरक्षित पशुओं की कुल संख्या के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(iii) बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी विहित प्रारूप में जमा करें।

14. निरीक्षण करने की शक्ति:-(1) बोर्ड को शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर निरीक्षण के लिए किसी भी पशु जन्म नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण करने के लिए लिखित रूप में एक निरीक्षण दल को अधिकृत करने की शक्ति होगी:

(2) निरीक्षण दल के पास शक्ति होगी -

(क) परिसर में प्रवेश कर परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों और सभी पशुओं और अभिलेख तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन नियमों की आवश्यकताओं का पालन किया जा रहा है;

(ख) तस्वीरें लेने, वीडियो रिकॉर्ड करने, और अभिलेख की प्रतियां बनाने की।

(3) इन नियमों के अधीन मान्यताप्राप्त इकाई का एक वर्ष में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(4) निरीक्षण दल अपनी रिपोर्ट बोर्ड और राज्य निगरानी समिति को प्रस्तुत करेगा।

(5) निरीक्षण दल द्वारा ऐसा निरीक्षण करने के लिए कोई पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती है।

15. मार्ग के कुत्तों की सुखमय मृत्यु:-(1) स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा नियुक्त एक दल द्वारा निदान के रूप में असाध्य रूप से बीमार और घातक रूप से घायल कुत्तों को एक योग्य पशु चिकित्सक द्वारा सोडियम पेंटोबार्बिटल के अंतः शिरा प्रयोग से या किसी अन्य अनुमोदित मानवीय रीति द्वारा मानवीय तरीके से निर्दिष्ट घंटों के दौरान सुखमय मृत्यु दी जाएगी।

(2) दल में क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी, परियोजना प्रभारी और बोर्ड / राज्य बोर्ड का एक प्रतिनिधि सम्मिलित होगा।

(3) किसी कुत्ते को दूसरे कुत्ते की उपस्थिति में सुखमय मृत्यु नहीं दी जाएगी और सुखमय मृत्यु के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को निपटाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि पशु मर चुका है।

- (4) सुखमय मृत्यु का अभिलेख सुखमय मृत्यु के कारणों सहित उपरोक्त नियुक्त दल के हस्ताक्षर सहित रखा जाना चाहिए।
- 16. कुत्तों के काटने या पागल कुत्तों से संबंधित शिकायतों का समाधान:-**स्थानीय प्राधिकरण एक पशु हेल्पलाइन स्थापित कर सकता है। अभिलिखित किए जा सकने वाले संघर्ष के मामलों को अभिलिखित करने और हल करने के लिए या तो परियोजना प्रभारी या पशु कल्याण संगठन उत्तरदायी होगा।
- (1) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता का नाम उसका पूरा पता, शिकायत की तारीख और समय, शिकायत की प्रकृति आदि जैसे विवरण स्थायी अभिलेख के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।
 - (2) किसी भी कुत्ते के काटने की सूचना तुरंत सरकारी चिकित्सा अस्पताल के साथ साझा की जाएगी ताकि काटने के पश्चात उपचार की सिफारिश की जा सके।
 - (3) ऐसे पशुओं को पशु चिकित्सक की सलाह पर मानवीय रूप से पकड़ा जाएगा और पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में अवलोकन के लिए रखा जाएगा, किसी भी संचारी रोग के लक्षण दिखाने वाले कुत्ते को आइसोलेशन केनल में रखा जाएगा जहां श्वान को दिन में दो बार भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
 - (4) किसी भी सदिग्ध रेबिड कुत्ते का दो व्यक्तियों के पैनल द्वारा निरीक्षण किया जाएगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक पशु चिकित्सा सर्जन और एक पशु कल्याण संगठन का एक प्रतिनिधि होंगे।
 - (5) यदि कुत्ते को रेबीज होने की उच्च संभावना पाई जाती है, तो उसे तब तक अलग रखा जाएगा जब तक कि उसकी प्राकृतिक मृत्यु न हो जाए। मृत्यु आमतौर पर रेबीज होने के दस दिनों के अन्दर होती है।
 - (6) यदि कुत्ते को रेबीज नहीं बल्कि कोई अन्य बीमारी या उग्र प्रकृति का पाया जाता है तो उसे पशु कल्याण संगठन को सौंप दिया जाएगा जो दस दिनों के अवलोकन के पश्चात कुत्ते को ठीक करने और छोड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाई करेगा।
 - (7) जिन कुत्तों की रेबीज से मृत्यु होने का संदेह है, उनके शवों को जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित किसी भस्मक में या किसी अन्य विधि को अपनाते हुए निपटाया जाएगा।
 - (8) यदि पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम एक पशु कल्याण संगठन द्वारा चलाया जा रहा है, तो स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा निर्धारित दर पर ऐसे कुत्तों को निगरानी में रखने और इलाज के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
 - (9) मार्ग के कुत्तों के बारे में लोगो को जागरूक करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई आउटरीच सामग्री को शहर के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करेगा।
- 17. अंगों की गिनती और निपटान:-** नर और मादा कुत्तों से निकाले गए प्रजनन अंगों को पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में दस प्रतिशत फॉर्मलाडेहाइड में संग्रहित किया जाएगा।
- (1) अंगों की गणना पाक्षिक या मासिक या जितनी बार स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति द्वारा तय की गई हो, एक दल द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे - अर्थात:
 - (i) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कोई पशु चिकित्सा अधिकारी;
 - (ii) परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी;
 - (iii) राज्य बोर्ड / एसपीसीए के प्रतिनिधि;
 - (iv) किसी भी पशु कल्याण संगठन के प्रतिनिधि;
- बशर्ते कि पशु कल्याण संगठन जो पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है अंग निरीक्षण दल का हिस्सा नहीं होगा।

- (2) नर और मादा जननांग अंगों की संख्या और शल्यक्रिया की तारीख के साथ चिन्हित अलग-अलग प्लास्टिक के बक्से में संरक्षित किया जाएगा।
 - (3) अंग निरीक्षण दल सभी अंगों की गणना करेगा और विचाराधीन अवधि के लिए कार्यान्वयन अभिकरण की प्रगति रिपोर्ट का सत्यापन करेगा।
 - (4) गिने हुए अंगों को अंग निरीक्षण दल की उपस्थिति में टैटू डाई के छिड़काव और गहरे में दफन या भस्मीकरण द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। अंगों के नष्ट करने और दफनाने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और तारीख और समय की मोहर के साथ फोटो खींची जाएगी।
 - (5) राज्य एबीसी निगरानी समिति नियमों का पालन सुनिश्चित करने और गैर-अनुपालन के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक एबीसी केंद्र में हर साल कम से कम एक बार औचक निरीक्षण करेगी।
- 18. गैर-अनुपालन का प्रभाव:-** (1) नियम 14 में संदर्भित रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यदि बोर्ड की राय है कि इन नियमों के अधीन किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है या पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम 1960 (1960 का 59) या उसके अधीन बनाए गए नियम या क्रूरता की स्थिति में, बोर्ड पशु कल्याण संगठन या पशु जन्म नियंत्रण केंद्र चलाने वाले स्थानीय प्राधिकरण को पंद्रह दिनों के अन्दर उत्तर के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
- (2) पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण से लंबित उत्तर की स्थिति में, बोर्ड लिखित में कारण बताकर इसकी मान्यता को निलंबित कर सकता है।
 - (3) बोर्ड, निरीक्षण रिपोर्ट और कारण बताओ नोटिस के जवाब के आधार पर, इस अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है या जिला मजिस्ट्रेट या जिला एसपीसीए को विधि के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।
 - (4) यदि यह मानने का कारण है कि इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बोर्ड के पास किसी भी पशु कल्याण संगठन के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति होगी जिससे ऐसे संगठन को किसी भी पशु के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने से रोका जा सके।
 - (5) बोर्ड ऐसे संगठन को किसी भी पशु के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने के लिए किसी भी पशु कल्याण संगठन को ब्लैकलिस्ट करेगा; परंतु कि ऐसी ब्लैकलिस्ट केवल तभी की जाएगी जब बोर्ड द्वारा अधिकृत या संचालित निरीक्षण पर यह स्थापित हो जाए कि पशु कल्याण संगठन एक बार-बार उपराधी है या उल्लंघन की प्रकृति किसी भी रूप में जघन्य क्रूरता या भ्रष्टाचार से संबंधित है।
 - (6) इन नियमों के तहत किसी भी उल्लंघन को अधिनियम के तहत उपराध माना जाएगा और पशु कल्याण संगठन या स्थानीय प्राधिकरण के परियोजना प्रभारी के पदाधिकारियों पर कानून के अनुसार आरोप लगाया जा सकता है।
- 19. घरेलू / जंगली बिल्लियों की नसबंदी और टीकाकरण:-**राज्य बोर्ड की सलाह पर, बिल्लियों की नसबंदी एक मान्यताप्राप्त पशु कल्याण संगठन द्वारा प्रशिक्षण और विशेषज्ञता के साथ बोर्ड द्वारा प्रकाशित बिल्लियों का बंध्याकरण और टीकाकरण के लिए दिशा निर्देशों में निर्धारित तरीके से बिल्लियों का बधियाकरण या नपुंसकीकरण आयोजित किया जा सकता है।
- (1) बिल्ली के जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए बुनियादी ढांचे और खर्चों की प्रतिपूर्ति स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा।
 - (2) जब कुत्तों के लिए प्रदान किए गए पशु जन्म नियंत्रण केंद्र में बिल्ली नसबंदी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहा हो, तब बिल्लियों को कुत्तों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए या किसी भी तरह से संपर्क में नहीं आना चाहिए।
 - (3) बिल्लियों की पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल ऐसी जगह की जानी चाहिए जहाँ वे श्वानों की आवाज / गंध से अनावश्यक तनाव से पीड़ित न हों।

20. सामुदायिक पशुओं को खिलाना:— (1) यह रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि की उत्तरदायी होगी कि परिसर या उस क्षेत्र में रहने वाले सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उस क्षेत्र या परिसर में रहने वाले व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, जो उन पशुओं को खिलाता है या उन पशुओं को खिलाने का इरादा रखता है और एक दयालु भाव के रूप में सड़क पर रहने वाले पशुओं की देखभाल करता है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या उस क्षेत्र के स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (i) फीड स्पॉट नामित करते समय श्वानों की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक रूप से सहमत स्थान पर होना चाहिए जो बच्चों के खेलने के क्षेत्रों, प्रवेश और निकास बिंदुओं, सीढ़ियों से दूर होंगे या ऐसे क्षेत्रों में होंगे जहां बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।
 - (ii) बच्चों, ज्येष्ठ नागरिकों, खेलों के लिए आवाजाही के आधार पर भोजन का समय निर्धारित करना, जिसमें बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो।
 - (iii) नामित फीडर यह सुनिश्चित करेगा कि फीडिंग स्थान पर कोई गंदगी न हो या उस क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।
 - (iv) नामित फीडरों को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता हेतु टीकाकरण, कुत्तो को पकड़ने और छोड़ने के लिए स्वयं सेवा की अनुमति है।
- (2) जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और पशु देखभाल करने वालों या अन्य निवासियों के बीच कोई विरोध है, तो एक पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (i) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि;
 - (ii) क्षेत्राधिकार वाले पुलिस के प्रतिनिधि;
 - (iii) जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के प्रतिनिधि पशु या राज्य बोर्ड;
 - (iv) पशु जन्म नियंत्रण का संचालन करने वाले किसी भी मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन का प्रतिनिधि;
 - (v) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी;
 - (vi) शिकायतकर्ता;
 - (vii) उस क्षेत्र के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि।

नियम 20 के उपनियम (2) के अधीन गठित समिति का निर्णय फीडिंग प्वाइंट के निर्धारण के संबंध में अंतिम निर्णय होगा और समिति उस क्षेत्र में उन जानवरों को खिलाने के लिए बोर्ड द्वारा नामित कॉलोनी केयर टेकर में से व्यक्ति को भी नामित कर सकती है।

(3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन या कोई फीडर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या स्थानीय निकाय नियम 20 के उप-नियम (2) के अधीन बनाई गई समिति के निर्णय से व्यथित होने पर, अपील राज्य बोर्ड को दायर की जाएगी। राज्य बोर्ड का निर्णय उस क्षेत्र में पशुओं को खिलाने का अंतिम निर्णय होगा।

21. अपील:—(1) परियोजना मान्यता समिति के निर्णय से व्यथित पशु कल्याण संगठन या कोई व्यक्ति, निर्णय प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, बोर्ड को अपील कर सकता है;

(2) शिकायत प्राप्त होने पर बोर्ड के अध्यक्ष एक समिति का गठन करेंगे जहां बोर्ड के सदस्य और संबंधित अधिकारी शिकायत की जांच करेंगे और समिति नोटिस देने के पश्चात और पार्टियों को सुनवाई का

अवसर देने के पश्चात या तो अपील को खारिज कर सकती है या अनुमति दे सकती है जिसके कारण लिखित में दर्ज किये जायेंगे।

- (3) कोई भी स्थानीय प्राधिकरण या पशु कल्याण संगठन या बोर्ड के निर्णय से व्यथित व्यक्ति, वे बोर्ड से संसूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पशुपालन विभाग के सचिव को दूसरी अपील दायर करेंगे।
- (4) पशुपालन विभाग के सचिव के निर्णय को शिकायत के संबंध में अंतिम निर्णय माना जायेगा।

22. जहां स्थानीय उपनियम आदि विद्यमान हैं - वहां नियमों का लागू होना:- 1) यदि कोई स्थानीय नियम, उपविधि, कोई अधिनियम, विनियम राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी मामले के संबंध में लागू है, जिसके लिए इन नियमों में प्रावधान किया गया है, तो ऐसे नियम, विनियम या उपविधि उस सीमा तक लागू होगा जहां तक -

- (क) इसमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशु के लिए कम परेशान करने वाले प्रावधान हैं, प्रबल होंगे;
- (ख) इसमें इन नियमों में अंतर्विष्ट उपबंधों की तुलना में पशुओं के लिए अधिक परेशान करने वाले प्रावधान शामिल हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा।

[आर-440485/13/2022-डीएडीएफ-विभाग]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

अनुसूची - I

[नियम 6 (3) देखें]

1. प्ररूप।

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की अनुमति लेने के लिए आवेदन पत्र

भाग - I

1.	संगठन का ब्यौरा						
(क)	संगठन का नाम						
(ख)	संगठन का पता पिन कोड नं. सहित						
(ग)	टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ और मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नंबर)						
(घ)	ई-मेल पता						
(ङ)	संगठन का पैन नंबर						
(च)	स्थापना का वर्ष						
2.	शरण गृह / औषधालय का ब्यौरा						
	क्र. सं.	शरणगृह / औषधालय का पता	शरणगृह की संख्या	शरणगृह का क्षेत्रफल	छोटे पशुओं की संख्या	बड़े पशुओं की संख्या	प्रकार (शरणगृह / औषधालय)
	1.						
	2.						
3.	पदाधिकारियों / शासी निकाय / प्रबंधन समिति के ब्यौरे						
	नाम	पद का नाम	पता	फोन नंबर / मोबाइल नंबर (व्हाट्सएप नंबर)	ई-मेल पता	आधार नंबर	

	1.					
	2.					
	3.					
4.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम / भारतीय न्यास अधिनियम, सहकारी सोसाइटी अधिनियम, आदि के अधीन वर्ष के साथ रजिस्ट्रीकरण संख्या (रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें नवीकरण के साथ, यदि कोई हो, सम्यक रूप से नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)					
5.	नीति आयोग एनजीओ पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा-तारीख और विशिष्ट आईडी नंबर (एक फोटोकॉपी संलग्न करें) (अनिवार्य)					
6.	संगम ज्ञापन, उपनियम / संगठन का संविधान (कृपया नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित संशोधन के साथ एमओए की प्रति संलग्न करें, यदि कोई हो)					
7.	विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का ब्यौरा-रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तिथि (कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)					
8.	आयकर अधिनियम के अधीन 80छ छूट का ब्यौरा, यदि कोई हो (संख्या, तारीख और संलग्नक)					
9.	आय के स्रोत का ब्यौरा (राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, विदेशी एजेंसियों और अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान)					
	राज्य सरकार से					
	केन्द्रीय सरकार से (एडब्ल्यूबीआई के अतिरिक्त)					
	दान से					
	विदेशी एजेंसियों से					
	अन्य स्रोतों से					
	कुल					
10(i)	संस्था के मुख्य उद्देश्य					
10 (ii)				गतिविधियां	व्यय का प्रतिशत	
				आवारा पशुओं / बड़े पशुओं को आश्रय देना		

		आवारा कुत्तों और अन्य छोटे पशुओं को आश्रय देना					
	पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय के प्रतिशत के साथ संगठन की गतिविधियां	पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम					
		औषधालय / उपचार					
		पशु रोगी वाहन सेवाएं / मोबाइल पशु क्लिनिक					
		पशुओं का बचाव / पुनर्वास					
		पशु कल्याण के लिए जागरूकता / प्रशिक्षण					
		पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज					
10(iii)		लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार अन्य गतिविधियाँ					
	क्र. सं.	गतिविधियां	व्यय का प्रतिशत				
	1.						
	2.						
11.	वर्ष के दौरान आश्रय / इलाज / बचाए गए पशुओं की संख्या का व्यौरे						
(i)	वर्ष के दौरान बचाए गए पशुओं की संख्या						
(ii)	पिछले एक वर्ष में संगठन द्वारा उपचारित पशुओं की संख्या टिप्पण: (जैसा कि संगठन द्वारा बनाए गए पशु उपचार रजिस्टर से सत्यापित है)						
	उनके इन-हाउस डिस्पेंसरी / अस्पताल में	मौके पर बीमार और घायल जानवर	चिकित्सा शिवरों में	मोबाइल क्लीनिक द्वारा	कुल		
(iii)	आश्रय वाले पशु की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति (संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)						
(iv)	अधिकार क्षेत्र के पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा पशु सत्यापन प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न करें)						
12.	उपलब्ध औषधालय / चिकित्सा सुविधाओं का विवरण						
	औषधालय / स्वास्थ्य सुविधा का पता	ओटी (उपलब्ध या नहीं)	चिकित्सकीय संसाधन	व्यौरा संलग्न किया जाना है			
13.	क्या रोगी वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉली उपलब्ध है, यदि हाँ						
	क्र.सं.	वाहन का मॉडल	खरीदने की तारीख	कि.मी.	खरीद की लागत	उपयोग का प्रयोजन	लॉग बुक

	1.						
	2.						
14.	क्या संगठन किसी मुकदमे में शामिल है ? यदि हां तो नवीनतम स्थिति सहित उसका विवरण और इसने संगठन के कामकाज को कैसे प्रभावित किया है ?						
15.	संस्था / शरणगृह में कर्मचारियों का विवरण						
	कर्मचारी का नाम	आयु	आधार नंबर	वेतन	शिक्षा	पद का नाम	प्रकार (पूर्णकालिक / अंशकालिक)
16.	पिछले वर्ष के दौरान पीसीए अधिनियम के अधीनसंस्थित अदालती मामलों की संख्या						
17.	पिछले वर्ष के दौरान पीसीए अधिनियम के अधीनफाइल की गई प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) की संख्या						
18.	प्रबंधन समिति की बैठकों की आवधिकता (पिछले एक वर्ष की पशु कल्याण गतिविधियों के लिए अपनाए गए संकल्प की प्रतियां संलग्न करें)						
19.	पिछले तीन वर्षों की गतिविधि रिपोर्ट / वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, यदि कोई हो						
20.	तुलनपत्र और आय-व्यय विवरण सहित वार्षिक लेखा परीक्षित खातों की प्रति, यदि कोई हो						
21.	संगठन के नाम पर बैंक खाते के ब्यौरा						
	बैंक का नाम	शाखा का पता	आईएफएस कोड	खाता संख्या	खाता धारक का नाम		

भाग – II

22.	पशु जन्म नियंत्रण केंद्र (केंद्रों) का विवरण		
	केंद्र का नाम	केंद्र का पता	
23.	चालू वर्ष में प्रस्तावित बंधीकृत या लक्षित और प्रतिरक्षित किए जाने वाले पशुओं की कुल संख्या		
(i)	नर कुत्ता	मादा कुत्ता	कुल
(ii)	इस प्रयोजन के लिए किया जाने वाला कुल व्यय		

24.	इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य एजेंसी / सरकार / विभाग से प्राप्त सहायता अनुदान / प्रतिपूर्ति अनुदान का विवरण, यदि कोई हो			
	क्र. सं.	रकम	कहां से प्राप्त	वर्ष
25.	पिछले 5 वर्षों में किए गए पशु जन्म नियंत्रण शल्य चिकित्सा कार्यों का विवरण (वर्ष - वार ब्यौरा)			
	क्र. सं.	नर कुत्ता	मादा कुत्ता	कुल
26.	प्रस्तावित योजना को क्रियान्वित करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध अवसंरचना / सुविधाओं का विवरण			
(क)	क्या आपके पास शल्यक्रिया कक्ष के साथ एक डिस्पेंसरी है?		☐ हां ☐ नहीं	
(ख)	उपलब्ध भापसह पात्रों की संख्या			
(ग)	क्या शीत और उपस्कर के लिए भंडार कक्ष उपलब्ध है ?		☐ हां ☐ नहीं	
(घ)	कुत्तों को पकड़ने का तरीका			
(ङ)	क्या आपके पास स्वयं के कुत्ते पकड़ने वाले हैं, यदि नहीं तो उस एजेंसी का नाम जो कुत्तों को पकड़ेगी और रिहा करेगी			
(च)	प्रशिक्षित पशु संचालकों की संख्या			
(छ)	पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाने की मासिक क्षमता			
(ज)	केनलों की संख्या एवं उनका माप / सुविधाओं के ब्यौरा			
	केनल की संख्या			
	क्षेत्र			
(झ)	ऑपरेशन थियेटर और अन्य बुनियादी ढाँचे का ब्यौरा			
	(अ) पूर्व-संचालन तैयारी क्षेत्र		☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं	
	(आ) ओ.टी. में वातानुकूलन		☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं	
	(इ) बंधीकृत कुत्तों की पहचान करने की विधि (जैसे कान का कतरना)			
	(ई) जल निकास		☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं	
	(उ) उपकरणों की सफाई और बंधीकरण करने के लिए कमरा / क्षेत्र		☐ उपलब्ध ☐ उपलब्ध नहीं	
	(ऊ) उपलब्ध सर्जिकल उपस्करों के सेट की संख्या			
	(ए) बुनियादी उपस्करों की संख्या			
	दगाई मशीन			
	ओ.टी. टेबल			

	स्ट्रेचर	
	ऑटोक्लेव	
	फ्रिज	
27.	क्या नगर पालिका / नगर निगम / प.क.सं. के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है ? (यदि हां, तो समझौता ज्ञापन की प्रति संलग्न करें)	हां ☐ नहीं ☐
28.	क्या वर्ष के दौरान आपके क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है यदि हां, तो रिपोर्ट संलग्न करें	हां ☐ नहीं ☐
29.	इस परियोजना में अन्य सहयोगी प.क.सं. का विवरण ?	
	क्र.सं.	प.क.सं. का नाम और पता
30.	निगरानी समिति का विवरण	
	क्र.सं.	समिति के सदस्यों के नाम और पता
31.	अन्य जानकारी, यदि कोई हो	

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त जानकारी और दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और प्ररूप में कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है

हस्ताक्षर और मुहर (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

संगठन के शासी निकाय के लिए और उसकी ओर से

नाम :

पदासिहित :

टिप्पण

दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में हैं, जमा करने के समय उनका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करें।

3. प्ररूप-II

परियोजना मान्यता का प्रमाण पत्र

4. प्ररूप-IV

प्ररूप-I के भाग -II के अनुसार परियोजना मान्यता का नवीनीकरण

5. प्ररूप-V

परियोजना मान्यता प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

अनुसूची-II

[नियम 9(2), (3), (4) और नियम 13 देखें]

निगरानी समितियों का गठन**1. केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति :****केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जायेगा:**

- (क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 को प्रशासित करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (ख) पशुपालन विभाग के आयुक्त, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
- (ग) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी
- (घ) पंचायती राज विभाग मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी
- (ङ) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड
- (च) अध्यक्ष, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद
- (छ) अध्यक्ष भारतीय पशु चिकित्सा संगठन
- (ज) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- (झ) राज्य में पशु जन्म नियंत्रण समन्वय में सक्रिय रूप से लगे प्रमुख राज्य पशु कल्याण बोर्डों के दो प्रतिनिधि
- (ञ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का प्रशासन करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव के स्तर पर एक अधिकारी केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति का सदस्य सचिव होगा।

केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति के कार्य : केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

- (i) पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- (ii) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना और राज्यों में पशु जन्म नियंत्रण के लिए बजटीय प्रावधान की व्यवस्था करना।
- (iii) अंतर-मंत्रालयी समन्वय की सुविधा और पशु जन्म नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को भी हल करना।
- (iv) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप से संबंधित मामले।
- (v) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कोई अन्य मामले।
- (vi) पशु कल्याण संगठन की मान्यता रद्द करने के संबंध में शिकायतों की सुनवाई कर सकता है और बोर्ड को आवश्यक निर्देश या आदेश पारित कर सकता है जैसा भी मामला हो।
- (vii) मार्ग के कुत्तों के नियंत्रण और प्रबंधन, टीकों के विकास और नसबंदी, टीकाकरण आदि की लागत प्रभावी विधियों से संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास पर नजर रखना।

समिति की बैठक : केंद्रीय निगरानी और समन्वय समिति की छह महीने में एक बार या जब भी आवश्यक हो बैठक होगी।**2. राज्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति :** पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को अंजाम देने के इरादे से प्रत्येक राज्य, राज्य कार्यान्वयन और निगरानी समिति का गठन करेगा। समिति का गठन इस प्रकार है:

- (क) शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में समकक्ष राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (ख) निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- (ग) निदेशक, पंचायती राज विभाग
- (घ) निदेशक, शहरी विकास विभाग (या समकक्ष)

- (ड) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि
- (च) राज्य पशु कल्याण बोर्ड के दो प्रतिनिधि
- (छ) भारतीय पशु चिकित्सा संगठन के स्टेट चैप्टर के प्रतिनिधि
- (ज) संबंधित राज्य के राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष
- (झ) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में कम से कम दो नगर निगमों के प्रशासनिक प्रमुख, और कम से कम दो पंचायतों और कम से कम दो नगर परिषदों के प्रतिनिधि
- (ञ) राज्य पशु कल्याण बोर्ड के प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने के लिए नोडल अधिकारी होंगे।

टिप्पण : बोर्ड या राज्य बोर्ड का कोई भी प्रतिनिधि सीधे उस अधिकार क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहिए।

राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति के कार्य :- राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समितियां निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार होंगी :

- (i) पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार स्थानीय प्राधिकरण स्तरों पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समितियों की स्थापना।
- (ii) राज्य भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों की आबादी प्रबंधन के लिए एक व्यापक जिलावार योजना विकसित करना (जिसमें बुनियादी ढांचे, बजट आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)
- (iii) जिला और राज्य योजना के अनुसार पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त अपेक्षित प्रशिक्षण और अनुभव रखने वाली पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करना। इसमें राज्य का पशुपालन विभाग शामिल हो सकता है जो भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के परामर्श से और तकनीकी मार्गदर्शन में काम कर रहा है।
- (iv) यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है, और अन्य पूंजीगत लागत (जिसमें पूरी तरह से सुसज्जित पशु जन्म नियंत्रण सुविधाएं / एम्बुलेंस और उपकरण के साथ परिसर शामिल हैं, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं हैं), और जनशक्ति लागत सहित पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अन्य सभी खर्च पशु जन्म नियंत्रण कार्यान्वयन एजेंसियों को स्थानीय अधिकारियों से उपलब्ध कराया जाता है, और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के नियम 6 के अनुसार समय पर ढंग से प्रतिपूर्ति की जाती है।
- (v) स्थानीय अधिकारियों द्वारा राज्य में पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की समग्र निगरानी के लिए जिम्मेदार।
- (vi) राज्य निगरानी समिति भी जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के दौरान पशु जन्म नियंत्रण और पशुओं के प्रति क्रूरता और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति / उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत की प्राप्ति पर निरीक्षण करेगी और उचित कार्रवाई करेगी।

समिति की बैठक:- समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार या जब भी आवश्यक हो बैठक करेगी।

- 3. स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति का गठन:-** स्थानीय पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति के गठन के बिना कोई भी पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा। पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार स्थानीय स्तर पर पशु जन्म नियंत्रण निगरानी समिति की स्थापना अनिवार्य है। समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा:

- (क) नगर आयुक्त या स्थानीय प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।
- (ख) जिले के जन स्वास्थ्य विभाग का एक प्रतिनिधि।
- (ग) पास के ब्लाक या जिले के पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि।
- (घ) एक क्षेत्राधिकार वाले पशु चिकित्सक।
- (ङ) जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी का एक प्रतिनिधि।

समिति के कार्य:- समिति इन नियमों के अनुसार कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम की योजना और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। समिति:

- (i) बंधीकरण, टीकाकरण या इलाज किए गए कुत्तों को पकड़ने, परिवहन, आश्रम, नसबंदी, टीकाकरण, उपचार और छोड़ने के लिए निर्देश जारी करना।
- (ii) पशु चिकित्सक को मामले के आधार पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकती है कि सोडियम पेटाथोल का उपयोग करके गंभीर रूप से बीमार या घातक रूप से घायल या पागल कुत्तों को दर्द रहित तरीके से सुखमयमृत्यु की आवश्यकता है। कोई अन्य तरीका सख्त रूप से वर्जित है। दो पशु चिकित्सा अधिकारियों और एक मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संस्था के एक प्रतिनिधि की एक उप-समिति के माध्यम से निर्णय लिया जाना है। उप-समिति प्रत्येक जानवर की सुखमयमृत्यु के लिए लिखित में कारण बताएगी।
- (iii) जन जागरूकता पैदा करना और सहयोग और वित्त पोषण मांगना।
- (iv) पालतू कुत्तों के मालिकों और वाणिज्यिक प्रजनकों को समय-समय पर दिशानिर्देश प्रदान करना।
- (v) श्वान के काटने के मामलों की निगरानी के उद्देश्य से और कुत्ते के काटने के कारणों का पता लगाने के लिए, इस तरह के कदम उठाएं उस क्षेत्र में जहां यह हुआ था और क्या यह एक आवारा या पालतू कुत्ते से था। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित प्रारूप में मानव अस्पताल से विवरण एकत्र किया जा सकता है।
- (vi) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा सुझाए गये तरीके से संगणना आयोजित करके अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्दर कुत्तों की संख्या का अनुमान लगाएं।
- (vii) कुत्तों की अनुमानित संख्या के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को निष्पादित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित करें। ऐसा करने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार के समन्वय से राज्य निगरानी और कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) एक नया क्षेत्र लेने से पहले लक्षित क्षेत्र में कम से कम सत्तर प्रतिशत कुत्तों के चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रवार पशु जन्म नियंत्रण करने के लिए बुनियादी ढांचे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा। बुनियादी ढांचे में ऑपरेशन से पहले की तैयारी के क्षेत्र, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट-ऑप केयर, किचन, राशन और दवाओं के लिए स्टोर रूप, पार्किंग क्षेत्र, पशु चिकित्सकों और परिचारकों के लिए आवासीय कमरे, क्वारंटाइन वार्ड, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं यद्यपि यह इसी तक सीमित नहीं है।

अनुसूची -III

[नियम 13 देखें]

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट

तारीख :

प्रेषण संख्या :

माह / वर्ष :

पीआईए का नाम :

स्थानीय निकाय का नाम :

एबीसी केंद्र का पता :

क्र. सं.	पशु चिकित्सक का नाम – डॉक्टर	योग्यता	रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण	पिछले महीने में आयोजित सर्जरी की संख्या	पोस्ट ऑपरेटिव जटिलताओं की संख्या	पिछले महीने में मृत्युदर
1.							

2.							
3.							
4.							
माह के लिए कुल योग							

पीआईए* के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर और तारीख :

एमवीओ/जेवीओ** के हस्ताक्षर और तारीख	डीवीओ** के हस्ताक्षर और तारीख
एमवीओ / जेवीओ का नाम	डीवीओ का नाम
एमवीओ / जेवीओ की मुहर	डीवीओ की मुहर

*पीआईए: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

** एमवीओ: स्थानीय निकाय द्वारा तैनात नगर पशु चिकित्सा अधिकारी।

**जेवीओ : क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी।

** डीवीओ : पशुपालन विभाग के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी / संबंधित जिले के जिला एसपीसीए के पदेन सदस्य सचिव।

एबीसी-एआरवी परियोजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट

तारीख : प्रेषण संख्या :

माह / वर्ष :

पीआईए का नाम :

स्थानीय निकाय का नाम :

एबीसी केंद्र का पता :

तारीख	नर कुत्तों की संख्या	मादा कुत्तों की संख्या	कवर किए गये कुत्तों की कुल संख्या	अवलोकन के अधीन कुत्तों की संख्या	मृत्युदर	एमवीओ / जेवीओ द्वारा सत्यापन	डीवीओ द्वारा सत्यापन
माह की पहली तारीख							
माह की दूसरी तारीख							
..... तक जारी							
अंतिम तारीख तक							

कुल योग							
---------	--	--	--	--	--	--	--

पीआईए* के परियोजना प्रभारी पशु चिकित्सक के हस्ताक्षर और तारीख:

एमवीओ/जेवीओ** के हस्ताक्षर और तारीख	डीवीओ** के हस्ताक्षर और तारीख
एमवीओ / जेवीओ का नाम	डीवीओ का नाम
एमवीओ / जेवीओ की मुहर	डीवीओ की मुहर

*पीआई : परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी

**एमवीओ : स्थानीय निकाय द्वारा तैनात नगर पशु चिकित्सा अधिकारी।

**जेवीओ : क्षेत्र के शासकीय पशु चिकित्सालय में पदस्थ क्षेत्राधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी।

**डीवीओ : पशुपालन विभाग के जिला पशु चिकित्सा अधिकारी / संबंधित जिले के जिला एसपीसीए के पदेन सदस्य सचिव।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2023

G.S.R. 193(E).—Whereas a draft of the Animal Birth Control Rules, 2022 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification of the Government of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying vide GSR 656(E) dated 31st July, 2022, inviting objections and suggestion from all persons likely to be affected thereby, within a period of thirty days, from the date of which copies of Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 25th August, 2022;

And whereas the objections and suggestions received in respect of the said draft rules, have been duly considered by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (ea) of sub-section (1) and (2) of section 38 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, and in supersession of the S.O. 1256(E), dated 24th December, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Animal Birth Control Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definition:- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- "Act" means the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- "Animal Birth Control center" means a veterinary facility with surgical infrastructure, post-operative care kennels, quarantine kennels, isolation kennels, dog transport vehicles with necessary logistics and other such facilities as specified by the Board, built for the purpose of carrying out the Animal Birth Control Program for street dogs;
- "Animal Birth Control program" means Birth Control program carried out for animal under these Rules by a local authority or an animal welfare organisation.
- "Animal Shelter" means place where stray or street or abandoned animals are kept for adoption or rehabilitation, general treatment while they are ill or injured;
- "Animal Welfare Committee" means committee constituted under these rules for resolution of the community dog feeding;
- "Animal Welfare Organisation" means any Organisation working for welfare of animals which is registered under the Societies Registration Act of 1860 (21 of 1860) or any corresponding law for the

time being in force and which is recognised by the Animal Welfare Board of India as per the extant policy of the Board;

- (g) "Board" means the Animal Welfare Board of India, established under section 4 and as reconstituted under section 5A of the Act;
- (h) "Certificate" means the Certificate of Project Recognition issued by the Board to any Animal Welfare Organisation or local authority for the purpose of the Animal Birth Control Programme under these Rules;
- (i) "Committee" means a monitoring Committee established under rule 9;
- (j) "Community Animals" means any animal born in a Community for which no ownership has been claimed by any individual or an Organisation, excluding wild animals as defined under the wildlife Protection Act, 1972 (53 of 1972);
- (k) "inspection team" means team authorised by the Board or State Board under rule 14;
- (l) "Jurisdictional Veterinary Officer" Veterinary Officer of the Animal Husbandry Department deployed at the Government Veterinary Hospital of the Animal Husbandry Department of the area;
- (m) "local authority" means a Municipal Committee, Municipal Council, District Administration, District Panchayats or Board, Cantonment Board or other authority for the time being invested by the law with the control and administration of any matters within a specified local area;
- (n) "Module" means document in writing for dog population management and rabies eradication published and updated by the Board from time to time, which shall serve as the Standard Operating Procedure for Animal Birth Control program for street dogs.
- (o) "Owner" means the Owner of an animal and includes any other person or any other organisation or association in possession or custody of such animal whether with or without the consent of the owner;
- (p) "Project In-charge" means Veterinary Officer deployed by the local authority for conducting the Animal Birth Control program for street dogs. Project in-charge of the local authority shall be a Veterinary Officer on the regular payroll of the local authority or State Government;
- (q) "Project Recognition Committee" means committee constitute by the Board for the scrutiny and examination of the applications for the Project Recognition of the Animal Birth Control programme;
- (r) "State Board" means the State Animal Welfare Board constituted, in a State, by the State Government;
- (s) "Society for Prevention of Cruelty to Animals" means a Society for Prevention of Cruelty to Animals established under the rules framed under this Act;
- (t) "Veterinary practitioner" means a Veterinary practitioner registered under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the Wildlife Protection Act, 1972 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts.

3. Project Recognition: (1) The local authority may conduct the Animal Birth Control program through their own veterinary officers, or if required, local authority may engage the services of an Animal Welfare Organisation which is duly recognised by the Board for Animal Birth Control and which has the requisite training, expertise and human resources, for conducting the Animal Birth Control program as per the extant policy of the Board.

- (2) Under both conditions referred to in sub-rule (1), obtaining a Certificate Project Recognition from the Board shall be mandatory.
- (3) No local authority or organisation shall undertake, conduct or organise animal birth control program for street dogs without a Certificate of Project Recognition from the Board.
- (4) Any Animal Welfare Organisation which is not disqualified from contracting under any law for the time being in force, may apply for Project Recognition by submitting their application in the Form-I appended to the First Schedule with a non-refundable fee of five thousand rupees only to the Board.
- (5) Any Animal Welfare Organisation applying for Project Recognition under these rules shall be already recognised as an Animal Welfare Organisation by the Board.
- (6) The local authority is conducting the animal birth control program through its own veterinary officers, the Project In-charge of the local authority shall intimate the Board and all other conditions and the Module published by the Board shall be applicable.

- (7) An applicant applying for Project Recognition for conducting the Animal Birth Control Programme shall be required to make separate applications for each separate Animal Birth Control Center.
 - (8) The applicant seeking a Project Recognition shall submit the attested copy of the Registration Certificate issued by Veterinary Council of India/ State Veterinary Council, for each Veterinary Doctor, who shall be deployed on particular project. Applicant shall also submit a copy of experience certificate issued by Government Authority and at least one Veterinarian proposed to be deployed by the applicant shall have a total experience of having conducted at least two thousand Animal Birth Control Surgeries anywhere in India.
 - (9) The Board shall constitute a Project Recognition committee for recognition of the projects.
 - (10) The Board shall upon receipt of the application for project recognition direct the Animal Husbandry Department of the concerned State to inspect the proposed Animal Birth Control Center and confirm the availability of requisite facilities in accordance with the Module published by the Board and the inspection shall be conducted within a period of thirty days on receipt of the letter from the Board by a team comprising of the following, namely:-
 - i) chief Veterinary Officer of the District;
 - ii) nodal officer of the State Animal Birth Control Monitoring Committee;
 - iii) representative of the Board or the State Board;
 - iv) one expert having specialization in Veterinary Surgery or in the field of Animal Birth Control programme.
 - (11) The inspection team must submit a report signed by all the members of the inspection team as per the inspection performa prescribed by the Board within a period of ten days from date of inspection.
 - (12) The Project Recognition Committee, after consideration of the inspection report under sub-rule (10) and on being satisfied that the Animal Birth Control Center is complying with the requirements as provided under these rules, may recommend issuing the Certificate of Project recognition for Animal Birth Control programme.
 - (13) Based on the recommendation of the Project Recognition Committee, the Board may issue recognition certificate for the specific project under these rules which shall be non-transferable within a period of fifteen days of receipt of inspection report.
 - (14) The Project In-charge of the local authority or Veterinarian of the Organisation shall ensure that the Certificate of Project Recognition is prominently displayed at the Animal Birth Control Center and such certificate shall also be produced on the request of the inspection authority.
- 4. Refusal of recognition:-** The Board shall not recognise any Project operated by the Local Authority or Animal Welfare Organisation under these rules, if—
- (1) the information submitted by the local authority or Animal Welfare Organisation is found to be false or if the applicant has made deliberate misstatements in the application or provided falsified or fabricated records to the Board;
 - (2) the Animal Welfare Organisation at any stage prior to submission of the application for recognition under these rules, has been convicted of any offence under this Act or rules made thereunder, or any other State or Central Act promulgated for the protection of animals or for any offence relating to animals under any other law for the time being in force;
 - (3) the Animal Welfare Organisation has refused to allow the inspection team to perform inspection in the entire premises or part of the premises, or denied access to the documents or any records as mandatory under these rules.
 - (4) If the Project Recognition committee considers that the infrastructure and available manpower at the Animal Birth Control Center is not commensurate with the prescribed requirements, the Board may reject the application giving reasons in writing within a period of thirty days from the receipt of the report from the Inspection team as provided under sub-rule (11) of rule 3.
- 5. Prohibition without recognition:-** No Animal Birth Control Program for street dogs shall be conducted unless the local authority or the Animal Welfare Organisation has obtained a certificate of Project Recognition for conducting such a program under these rules;

Provided that any local authority or animal welfare organisation referred to in the first proviso fails to apply for the certificate of Project Recognition within a period of six months or has been refused the Project Recognition for any reason specified under these rules, then the concerned local authority shall discontinue such

animal birth control programme. In case any dog catching or surgeries have been conducted then the same shall be stopped immediately and all the dogs shall be treated by the Project In-charge or an animal welfare organisation, until they are fit to be released.

6. Renewal of recognition:- (1) A certificate of Project Recognition for Animal Birth Control Center issued by the Board shall be valid for a period of three years from the date of recognition and may be renewed upon receipt of an application being made to the Board under these rules.

(2) An application for renewal of recognition shall be made, at least sixty days prior to the expiry of the Project Recognition for Animal Birth Control program, to the Board in the Form-IV appended to the First Schedule with a non-refundable Renewal Fee of five thousand rupees to the Board and the provisions of rule 3 shall *mutatis mutandi* apply.

(3) The Board, after consideration of the inspection report submitted by inspection authority under sub-rule (3) of rule 3 and on being satisfied that the Animal Birth Control Center is complying with the requirements as specified under these rules, may renew the Certificate of Project Recognition of the Animal Birth Control Center by issuing renewal in the format as given in Form-V appended to the First Schedule.

(4) A renewal for the Certificate of Project Recognition issued by the Board shall be valid for a period of three years, renewable upon receipt of an application and Renewal Fee by the Board under these rules.

7. Classification of animals:- Animals classified for the purpose of these rules are as under:

(1) Pet animals – dogs owned and kept indoor by individuals;

(2) Street dogs or community owned Indian dogs or abandoned pedigreed dogs which are homeless, living on the street or within a gated campus.

8. Responsibility for Vaccination and Sterilisation:- (1) In case of pet animals, the owner of the animal shall be responsible for the deworming, immunisation and sterilisation.

(2) In case of street animals, the local authority shall be responsible for deworming, immunisation and sterilisation and may engage an Animal Welfare Organisation duly recognised by the Board to carry out the animal birth control program in accordance with these rules

9. Formation of Monitoring Committees and its Functions:- The Monitoring Committees shall be constituted for effective implementation of Animal Birth Control Programs in accordance with these rules to control the population of street animals, for eradication of rabies and for reducing man-animal conflict and the Monitoring Committees shall be constituted as follows namely:-

(1) A Central Animal Birth Control Monitoring and Coordination Committee for Dog Population Management and Rabies Eradication shall be constituted to ensure coordination between different stakeholders at the Central Government and between the Central Government and the State Governments;

(2) The constitution of the Committee and its functions shall be provided in Schedule-II;

(3) A State Animal Birth Control Implementation and Monitoring Committee shall be constituted at the State or Union territory level in all States and Union territories. This Committee shall coordinate the implementation of the Animal Birth Control Program across the State in a scientific and phase-wise manner and the constitution of the Committee and its functions shall be provided in Schedule-II; and

(4) A local Animal Birth Control Monitoring Committee shall be constituted at the Local Authority level in all States and Union territories and the constitution of the Committee and its functions shall be provided in Schedule-II.

10. Obligations of the Local Authority:-

(1) The local authority shall ensure following facilities are available in each Animal Birth Control Center within their jurisdiction:-

(a) sufficient number of kennels and veterinary hospital facilities which may be managed by local authority or animal welfare organisation;

(b) requisite number of vans with necessary modifications for safe handling and transportation of dogs;

(c) a mobile Operation Theatre Van equipped with surgical infrastructure to be provided as mobile Center for sterilisation and immunisation for smaller local bodies, where considered necessary and where kennels for post-operative care are available;

(d) incinerators to be installed by the local authority for disposal of organs and carcasses and where an incinerator is not feasible, deep burial method may be adopted.

- (e) periodic repair and maintenance of Animal Birth Control Center.
 - (f) close Circuit Television to be installed in the entire premises specifically in the Operation theatre and where the animals are housed at Animal Birth Control Centre, and shall maintain the record of video surveillance for a minimum of one months or as specified from time to time by the Board or State Board and the video recordings may be made available for the inspecting authority, monitoring committee or the Board upon enquiry or request.
 - (g) Cleanliness and hygiene to be maintained at all times at the Animal Birth Control Center.
 - (h) Records for catching, release, medicine, surgery, feeding, vaccinations of all animals brought to the Animal Birth Control Center to be maintained.
- (2) The local authority shall reimburse the expenses of sterilisation or immunisation on a regular basis, if the services of an animal welfare organisation have been engaged.
 - (3) The local Animal Birth Control Monitoring Committee shall be constituted by the Local Authority and it shall meet at least once every month to assess the progress made with regard to implementation of the Animal Birth Control Program.
 - (4) The local authority shall inquire into the matter of violation of these rules on receipt of the complaint against the Animal Birth Control Center and shall terminate or suspend any engagement with such an organisation on the basis of the recommendation of the Local Animal Birth Control Monitoring Committee or the Board.
 - (5) The local authority may conduct the Animal Birth Control program through its own staff by creating a Special Purpose Vehicle and intimate the Board in accordance with sub-rule (6) of rule 3.
 - (6) The Special Purpose Vehicle shall hire contractual or full time veterinarians, handlers, drivers and paraveterinarians who shall implement the program and such shall not sub-let any part of the Animal Birth Control Project to any other agency.
 - (7) The local authority shall be responsible for ensuring that the staff hired by the Special Purpose Vehicle have been suitably trained and are adhering to all conditions in these rules and the Module and the Project In-charge appointed by the local authority shall not be a part of the Special Purpose Vehicle.
- 11. Capturing or sterilisation or immunisation or release:-** (1) Capturing of street dogs shall be conducted for the following reasons namely:-
- (a). **General purpose:** for which the local authority in consultation with the Monitoring Committees shall decide to control the excess population of street dogs through animal birth control program in a specific area or region.
 - (b). **Specific complaints:** for which the local authority in consultation with the Monitoring Committee shall set up an Animal Complaint Cell at the Animal Birth Control Center to receive information or complaints about dog bites from street dogs suspected to be suffering from Rabies.
- (2) The dog capturing team shall consist of:-
- (i) the driver of the van;
 - (ii) two or more trained employees of the local authority or Animal Welfare Organisation who are trained in humanely capturing street dogs; and
 - (iii) One representative of any of the Animal Welfare Organisation nominated for the purpose;
- Provided that each member of the capturing squad shall carry a valid identity card issued by the local authority.
- (3) Before the street dogs are captured in any locality, the representative of the local authority or of the Animal Welfare Organisation shall put up banners or public notices making announcement informing residents that animals shall be captured from the area for the purpose of sterilisation and immunisation and will be released in the same area after sterilisation and immunisation.
 - (4) The announcement may also briefly educate the residents of the area about the animal birth control programme and solicit the support of all the residents reassuring them that the local authority is taking adequate steps for their safety and the safety of the animals and such outreach efforts shall be instituted at each Animal Birth Control Center as well.
 - (5) The capturing of the animals shall be done by using humane methods such as net catching or hand catching or any other manner that is less irksome to the animal and use of tongs or wires for catching dogs shall be strictly prohibited.

- (6) Only a stipulated number of animals, according to the housing capacity of the Animal Birth Control Center, shall be captured.
 - (7) Dogs from only one area shall be brought for sterilisation, immunisation at a given time in Animal Birth Control Center and effort must be made to avoid bringing into contact dogs from different areas.
 - (8) All the dogs caught shall be identified with a numbered collar immediately upon arrival at the Animal Birth Control Center and the number shall correspond to capture records to ensure that each dog is released, in the same area from where it was captured, after sterilisation and immunisation.
 - (9) Street dogs under the age of six months shall not be captured and undergo sterilisation and female animals with puppies shall not be captured for sterilisation till their litter is two months of age.
 - (10) The captured animals shall be brought to the Animal Birth Control Center having Certificate of Project Recognition from the Board and managed by the local authority or Animal Welfare Organisation where they shall be examined by veterinary practitioners and the healthy animals shall be separated from sick or injured animals. Provided that the sick or injured animal shall be given adequate treatment and the treated animals should be sterilized only after their recovery.
 - (11) The kennels where the dogs are kept should be marked by visibly writing the name of the locality on each kennel door and the kennels for individual dogs should be at least three feet wide, four feet deep and at least six feet high. Kennels for three to five dogs can also be provided for, where each dog gets at least three feet by four feet floor space.
 - (12) The kennel should be provided with a door or gate of vertical iron bars and the gaps between adjacent bars shall be no more than two inches and adequate roofing is necessary to provide shade and shelter from inclement weather and also to prevent the dogs from escaping.
 - (13) Care should be taken while designing the kennel to ensure that there is sufficient cross ventilation of air through the kennels and the kennels should be designed to have a raised area at the rear of the kennel where the dog may lie down comfortably and there must be proper drainage system in all kennels to facilitate cleaning.
 - (14) Dogs from the same family or social group may be kept one single kennel. Male and female dogs must be housed separately and the dogs shall be kept in quarantine kennels for twelve hours before surgery, without food or water.
 - (15) Sterilisation surgery and vaccination must be performed by a Veterinarian under the close supervision of the Jurisdictional Veterinary Officers of the local authority in a well-equipped Operation Theatre and the approved surgical procedures and the minimum requirements shall be as provided by the Board in the Module.
 - (16) A 'V' shaped notch shall be made on the right ear of each dog during sterilisation surgery and such clipping of the ear helps in identification of the dog as sterilised and immunized, once it is back on the street and branding of dogs shall not be permitted.
 - (17) After recovering from the surgery, the dogs shall be kept in kennels for at least four days after the Sterilisation for post-operative care and adequate and healthy food twice a day and potable drinking water at all times shall be provided to each dog. Male and female dogs should be housed separately.
 - (18) The Animal Birth Control Center shall have sufficient space for proper housing and free movement of dogs and the place should have proper ventilation and natural lighting and must be kept clean.
 - (19) The dogs shall be released at the same place or locality from where they were captured and the date, time and place of their release shall be recorded after their complete recovery and the representative of the local authority or of the animal welfare organisation shall accompany the team at the time of release and from time to time, the Board may provide a suitable application for geo-tagging the location of the dogs during capture and release.
 - (20) In order to carry out the Animal Birth Control surgeries safely and humanely, the Implementing Agency shall abide by the directions given by the Board regarding the Standard Operating Procedures in the Module from time to time.
- 12. Records to be maintained:-** The Project In-charge of the local authority or the Animal Welfare Organisation shall maintain the following records at the Animal Birth Control Center which are to be updated on daily basis:
- (1) Record of animals including the following namely;
 - (i) The name of the area or locality from where the dog was captured;
 - (ii) Date and time of capture;

- (iii) Names of persons in the capturing squad responsible for the capture;
 - (iv) Details about dogs captured –tag number of the dog, number of males, females, colour, identification marks and approximate age;
 - (v) Date and time of release; and
 - (vi) The name of the area/locality where the dog was released.
- (2) Feeding Record for each kennel and Food Inventory.
 - (3) Treatment Record for each dog.
 - (4) Medicine and Vaccine Inventory.
 - (5) Mortality record.
 - (6) Equipment Inventory including surgical equipment and the like.
 - (7) Dog Van Logbooks.
 - (8) Staff attendance Record.
 - (9) Organ Inspection Record.
 - (10) Close Circuit Television Footage for previous thirty days.
- 13. Reports:-** The Project In-charge of the local authority or the Veterinarian in-charge of the Animal Welfare organisation conducting animal birth control program which has obtained Project Recognition under these rules shall:-
- (i) submit a monthly progress report to the Local Animal Birth Control Monitoring Committee, of the number of street dogs sterilized and vaccinated with the following details in formats provided in Schedule III and IV namely:-
 - (a) total number of street dogs caught;
 - (b) total number of street dogs sterilized;
 - (c) total number of street dogs housed for observation only;
 - (d) total number of dogs that died before, during or after surgery;
 - (e) name and qualification of each veterinarian engaged with the project and the number of dogs sterilised by each veterinarian during the month;
 - (f) name and registration number of each veterinarian with number of Animal Birth Controlsurgeries conducted by himin each of the preceding month;
 - (g) number of post-operative complications and mortality against the surgeries conducted by each veterinarian, in a form provided in Schedule-III;
 - (ii) submit an annual report to the Board through the State Animal Birth Control Monitoring Committee, not later than the 31st day of May every year regarding total number of animals captured, sterilised, immunised during the previous year ending on 31st March;
 - (iii) submit, such other information as may be required by the Board or State Board, from time to time in prescribed format.
- 14. Power to Inspect:-** (1) The Board shall have the power to authorise an inspection team in writing to inspect any Animal Birth Control Center on receipt of a complaint or for periodical inspection:
- (2) The inspection Team shall, have power to—
 - (a) enter into the premises and access to all areas within the premises and all animals, and records, to ascertain whether the requirements of these rules are being complied with;
 - (b) take pictures, record videos, and make copies of the records.
 - (3) The recognised unit under these rules shall be inspected at least once in a year.
 - (4) The inspection Team shall submit their report to the Board and to the State Monitoring Committee.
 - (5) No prior notice may be given by the inspection team for conducting such inspection.
- 15. Euthanasia of Street Dogs:-** (1) Incurably ill and mortally wounded dogs as diagnosed by a team appointed by the Local Animal Birth Control Monitoring Committee shall be euthanised during specified hours in a

humane manner by intravenous administration of sodium pentobarbital or any other approved humane manner, by a qualified veterinarian.

- (1) The team shall consist of the Jurisdictional Veterinary Officer, the Project In-Charge and a Representative of the Board or State Board.
- (2) No dog shall be euthanised in the presence of another dog and the person responsible for euthanising shall make sure that the animal is dead, before disposal.
- (3) The records for euthanasia shall be maintained with the reasons for euthanasia under the signature of the team appointed as above.

16. Resolution of Complaints regarding dog bites or rabid dogs:- The local authority may establish an Animal Helpline. Either the Project In-Charge or the Animal Welfare Organisation shall be responsible for recording and resolving conflict cases that may be reported.

- (1) On receipt of such a complaint, the details such as name of the complainant, his complete address, date and time of complaint, nature of complaint etc. shall be recorded in a register to be maintained for permanent record.
- (2) The information of any dog bite shall be promptly shared with the Government Medical Hospital to recommend post bite treatment.
- (3) Such animals shall be humanely captured and kept for observation at the Animal Birth Control Center and upon the advice of the Veterinary Practitioner, a dog showing symptoms of any communicable disease shall be housed in the Isolation Kennel where food and water shall be provided to the dog twice every day.
- (4) Any suspected rabid dog would then be subjected to inspection by a panel of two persons and the like a veterinary surgeon appointed by the local authority and a representative from an Animal Welfare Organisation.
- (5) If the dog is found to have a high probability of having rabies, it shall be isolated till it dies a natural death. Death normally occurs within ten days of contracting rabies.
- (6) If the dog is found not to have rabies but some other disease or is furious in nature then it would be handed over to the Animal Welfare Organisation who shall take the necessary action to cure and release the dog after ten days of observation.
- (7) The carcasses of dogs that are suspected to have died of rabies shall be disposed of in an incinerator or adopting any other method as provided by the Chief Veterinary Officer of the District.
- (8) If the Animal Birth Control Program is being run by an animal welfare organisation, it shall be reimbursed by the local authority for keeping and treating such dogs under observation at a rate determined by the Local Animal Birth Control Monitoring Committee.
- (9) The Local Authority shall display outreach material provided by the Board on prominent sites in the city, to sensitise people about street dogs.

17. Counting and disposal of Organs:- The reproductive organs removed from male and female dogs shall be stored in 10 percent Formaldehyde at the Animal Birth Control Center.

- (1) The organs shall be counted fortnightly or monthly or as often as decided by the Local Animal Birth Control Monitoring Committee, by a team comprising of the following- namely:
 - (i) Chief Veterinary Officer or any Veterinary Officer authorised by him;
 - (ii) Project In-Charge Veterinary Officer;
 - (iii) Representative of the State Board or Society for Prevention of Cruelty to Animals;
 - (iv) Representative of any Animal Welfare Organisation;

Provided that the Animal Welfare Organisation which is conducting the Animal Birth Control program shall not be part of the Organ Inspection Team.

- (2) The organs shall be preserved in separate plastic boxes marked with number of male and female genital organs and date of Surgery.
- (3) The Organ Inspection Team shall count all the organs and verify the Progress Report of the Implementing Agency for the period in question.

- (4) The counted organs shall be immediately destroyed in the presence of the Organ inspection team, by spraying of tattoo dye and deep burial or incineration. The process of dying and burying the organs shall be video recorded and photographed with the date and time stamp.
- (5) The State Animal Birth Control Monitoring Committee shall conduct surprise inspection at least once every year in each Animal Birth Control Center to ensure adherence to the rules and take necessary action in case of non-compliance.

18. Effect of Non-Compliance:- (1) After considering the report referred to in rule 14 if the Board is of the opinion that any provisions under these rules are contravened or any violation of provision of the Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 (59 of 1960) or rules framed thereunder has occurred, or in the event of cruelty, the Board shall issue show cause notice to the Animal Welfare Organisation or local authority running the Animal Birth Control Center for reply within fifteen days.

- (2) The pending reply from the Animal Welfare Organisation or local authority, the Board may suspend its recognition by communicating reason in writing.
- (3) The Board, based on the inspection report and the reply to the Show Cause Notice, may take action in accordance with this Act or direct the District Magistrate or District Society for Prevention of Cruelty to Animals to take appropriate action against the violators in accordance with law for the time being in force.
- (4) The Board shall have the power to Cancel the registration of any Animal Welfare Organisation to prevent such organisation from conducting animal birth control programs for any animals, if there is reason to believe that violation of these rules is taking place.
- (5) The Board shall Blacklist any Animal Welfare Organisation to prevent such organisation from conducting animal birth control programs for any animals; Provided that such Blacklist shall only be done if upon inspection authorised or conducted by the Board, it is established that the Animal Welfare Organisation is a repeat offender or if the nature of the violation is concerning heinous cruelty or corruption in any form.
- (6) Any violation under these rules shall be deemed to be an offence under the Act and the office bearers of the Animal Welfare Organisation or the Project In-Charge of the local authority may be charged in accordance with law for the time being in force.

19. Sterilisation and Immunisation of Domestic or Feral cats :- Upon the advice of State Board, the Sterilisation of cats may be conducted by a recognised Animal Welfare Organisation with training and expertise in spay or neuter of cats, in a manner provided in the Guidelines for Cat Sterilisation and Immunisation, published by the Board.

- (1) The infrastructure and reimbursement of expenses for a Cat Birth Control program shall be provided by the local authority.
- (2) While cat sterilisation programs can be conducted in the Animal Birth Control Center provided for dogs, the cats must not be housed with or come in contact in any way with dogs.
- (3) The post-operative care of cats must be done in a place where they do not suffer from unnecessary stress by the sounds or smells of dogs.

20. Feeding of Community Animals:- (1) It shall be responsibility of the Resident Welfare Association or Apartment Owner Association or Local Body's representative of that area to make necessary arrangement for feeding of community animals residing in the premises or that area involving the person residing in that area or premises as the case may be, who feeds those animals or intends to feed those animals and provides care to street animals as a compassionate gesture. The Resident Welfare Association or Apartment Owner Association or the Local Body's representative shall ensure:-

- (i) to designate feed spots which are mutually agreed upon, keeping in mind the number of dog population and their respective territories and the feeding spots shall be far from children play areas, entry and exit points, staircase or in an area which is likely to be least frequented by children and senior citizen.
- (ii) to designate feeding time depending on the movement of children, senior citizens, sports which is likely to be least frequented by children and senior citizen.
- (iii) designated feeder shall ensure that there is no littering at the feeding location or violation of guidelines framed by the Resident Welfare Association or Apartment Owner Association or that areas.
- (iv) designated feeders are allowed to volunteer for the vaccination, catching and release of dogs to assist with the Animal Birth Control Program.

- (2) Where there is any conflict between the Resident Welfare Association or Apartment Owner Association and the animal caregivers or other residents, an Animal Welfare committee comprising of the following members shall be formed:
- Chief Veterinary Officer or his representative;
 - Representative of the Jurisdictional Police;
 - Representative of the District Society for Prevention of Cruelty to Animal or State Board;
 - Representative of any Recognised Animal Welfare Organisation conducting Animal Birth Control;
 - Veterinary Officer deputed by the local authority;
 - Complainant;
 - Representative of the Resident Welfare Association or Apartment Owner Association or Local Body of that area.

The decision of the Committee constituted under sub-rule (2) of rule 20 shall be the final decision with regard to the fixing of the feeding point and the Committee may also nominate person from amongst the designated Colony Care Taker by the Board to feed those animals in that area.

- (3) Any local authority or animal welfare organisation or any feeder Resident Welfare Association or Apartment Owner Association or Local Body aggrieved by the decision of the Committee framed under sub-rule (2) of rule 20, the appeal shall be filed to the State Board and the decision of State Board shall be the final decision for feeding of animals in that area.

21. Appeal. — (1) The animal welfare organisation or any person aggrieved by the decision of the project Recognition Committee may prefer an appeal to the Board, within thirty days of receipt of the decision;

- (2) The Chairman of the Board on receipt of the grievance shall constitute a Committee where the members from the Board and the relevant officials shall examine the grievance and the Committee shall after giving notice and giving an opportunity of hearing to the parties, either may reject or allow the appeal, for the reasons to be recorded in writing.

- (3) Any local authority or animal welfare organisation or individual aggrieved by the decision of the Board, they shall file second appeal to the Secretary Department of Animal Husbandry within thirty days of receiving communication from the Board.

- (4) The decision of the Secretary Department of Animal Husbandry treated as final decision with regard to the grievance.

22. Application of rules where local bye-laws etc. exist:- (1) If there is local rules, bye laws, any Act, regulation for the time being is in force by the State or the Local Authority in respect of any of the matters for which provision is made in these rules, such rule, regulation or bye-law shall to the extent to which:

- it contains provisions less irksome to the animal than those contained in these rules, shall prevail;
- it contains provisions more irksome to the animal than those contained in these rules, be of no effect.

[R-440485/13/2022-DADF-Dept.]

Dr. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

SCHEDULE-I

[see rule 6(3)]

1. Form-I

Application Form for seeking permission of Animal Birth Control Program

Part - I

1.	Organisation Details	
(a)	Name of the Organisation	
(b)	Address of the Organisation with pin code No.	
(c)	Telephone Nos. with STD Code and Mobile No. (Whatsapp No.)	
(d)	E-mail address	

(e)	PAN No. of the Organisation						
(f)	Year of Establishment						
2.	Details of Animal Shelter/ Dispensary						
	S. No.	Address of Shelter/ Dispensary	No. of Sheds	Area of Shed	No. of small animals	No. of Large animals	Type (Shelter / Disp.)
	1						
	2						
3.	Details of the Office Bearers/Governing Body/Management Committee						
	Name	Designation	Address	Telephone No. / Mobile No. (whatsapp)	Email address	Aadhar No.	
4.	Registration No. with year under Societies Registration Act/Indian Trust Act, Co-operative Societies Act, etc. (Attach copy of Registration Certificate with renewal, if any, duly attested by Notary Public)						
5.	Details of Registration on NITI Aayog NGO Portal–Date and Unique ID Number (Attach a photocopy) (Mandatory)						
6.	Memorandum of Association, By-Law/Constitution of Organisation (Please attach copy of MOA with amendments, if any, duly attested by Notary Public)						
7.	Details of Registration under Foreign Contribution Regulation Act- Registration No. and Date (Please attach copy of Registration certificate)						
8.	Details of 80 G exemption under Income Tax Act, if any (Number, Date and Attachment)						
9.	Details of Source of Income (Grant Received with state Govt., Central Govt., Foreign Agencies and other Source)						
	From State Govt.						
	From Central Govt. (other than AWBI)						
	From Donations						
	From Foreign Agencies						
	From other sources						
	Total						
10(i)	Main Objective of the Organisation						
10(ii)	Activities of the Organisation with Percentage of expenditure incurred during the last three year			Activities		Percentage of expenditure	
Sheltering of Stray Cattle/large animals							
Sheltering of stray Dogs and other small animals							
Animal Birth Control							

		Programme	
		Dispensary/Treatment	
		Ambulance services / Mobile Animal Clinic	
		Rescue/ Rehabilitation of animals	
		Awareness / Training for animal welfare	
		Legal Cases booked against cruelty to animals	
10(iii)	Other activities as per aims and objectives		
S.No.	Activities		Percentage of expenditure
1			
2			
11.	Details of Number of Animals Sheltered/Treated/Rescued during the year		
(i)	Number of animals rescued during the year		
(ii)	Number of animals treated by the Organisation in the preceding one year Note : (As verified from animal treatment register maintained by the Organisation)		
	In their in- house dispensary/hospital	Sick and injured animal on the spot	In medical camps
			By Mobile Clinics
			Total
(iii)	General health condition of the animal sheltered (Attach related document)		
(iv)	Animal Verification Certificate by jurisdictional Veterinary Officer (Attach photocopy of certificate)		
12.	Details of Dispensary/Medical facilities available		
	Address of Dispensary/ Medical facility	OT (Available/Not Available)	Medical Equipment
			Details to be attached
13.	Whether Ambulance/Tractor Trolley is available, if yes		
	S.No.	Model of Vehicle	Date of Purchase
	1		
	2		
14.	Whether the Organisation is involved in any litigation? If yes, details thereof including latest position and how it has affected the working of the Organisation		
15.	Details of Staff in the Organisation/Shelter		
Name of the staff	Age	Aadhar No.	Salary
			Education
			Designation
			Type (Full Time/ Part Time)
16.	Number of court cases filed under PCA Act during the last year		
17.	Number of FIR filed under PCA Act during last year		

18.	Periodicity of Management Committee Meetings (Attach copies of Resolution adopted towards Animal Welfare Activities of last one year)				
19.	Copy of the Activity Report / Annual Report of the last three year, if any				
20.	Copy of Annual Audited Accounts including Balance sheet and Income and Expenditure statement, if any				
21.	Details of Bank Account in the name of the Organisation				
	Name of the Bank	Branch Address	IFSC	Account No.	Name of the Account Holder

Part – II

22.	Details of the ANIMAL BIRTH CONTROL Center(s)				
	Name of the Center		Address of the Center		
23.	Proposed total number of animals to be sterilized or targeted and immunized in the current year				
(i)	Male Dogs	Female Dogs		Total	
(ii)	Total expenditure to be incurred for the purpose				
24.	Details of Grant-in-aid/ reimbursement grant received from any other Agency/Govt./Dept., if any for the same purpose				
	S.No.	Amount	Received from	Year	
25.	Details of ANIMAL BIRTH CONTROL Operations carried out in the last five years (year-wise details)				
	S.No.	Male Dogs	Female Dogs	Total	Year
26.	Details of infrastructure/facilities available with the Organisation to implement the proposed scheme				
(a)	Whether you have a Dispensary with operation theatre?			☐ Yes ☐ No	
(b)	No. of auto claves available				
(c)	Whether storage room for medicines and equipment available?			☐ Yes ☐ No	
(d)	Method of catching of dogs				
(e)	Whether you have your own dog catchers, if not, then Name of Agency that will be catching and releasing the dogs				
(f)	No. of Trained Animal handlers				
(g)	Monthly capacity for carrying out ANIMAL BIRTH CONTROL programme				

(h)	No. of Kennels and details of the measurements/facilities	
	No. of Kennels	
	Area	
(i)	Details of operation theatre and other infrastructure	
	(A) Pre-operation preparation area	☐ Available ☐ Not Available
	(B) Air-conditioning in OT	☐ Available ☐ Not Available
	(C) Method of identifying the sterilized dogs (e.g. Ear Notching)	
	(D) Drainage System	☐ Available ☐ Not Available
	(E) Room/Area for cleaning and sterilizing instruments	☐ Available ☐ Not Available
	(F) No. of sets of surgical instruments available	
	(G) No. of basic instruments	
	Cautery Machine	
	O.T. Table	
	Stretchers	
	Autoclave	
	Refrigerator	
27.	Whether entered into MoU with Municipality/Municipal Corporation/AWO? (if Yes, Copy of MoU to be enclosed)	☐ Yes ☐ No
28.	Whether dog population survey conducted in your area during the year If yes, attach report	☐ Yes ☐ No
29.	Details of the other collaborating AWO in this project?	
	S.No.	Name and Address of the AWO
30.	Details of Monitoring Committee	
	S.No.	Name and Address of the committee members
31.	Additional information, if any	

DECLARATION

Isolemnly affirm and declare that the above information and documents provided by me are true and correct to the best of my knowledge and belief and no facts have been concealed in the form.

Signature and Seal (Authorized Signatory)

For and on behalf of the Governing Body of the Organisation

Name:

Designation:

Note:

Documents are in Regional language, translate the same in Hindi or English at the time of submission.

3. Form II

Certificate of Project Recognition

4. Form IV

Renewal of Project Recognition as per Part – II of Form – I

5. Form V

Renewal of Project Recognition Certificate

Schedule-II

[see rule 9(2), (3), (4) and rule 13]

Constitution of Monitoring Committees

1. Central Monitoring and coordinating Committee:

The Central Monitoring and Coordinating Committee shall be constituted with the following members:

- (a) Secretary of the Administrative Ministry administering the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, shall be the Chairperson of the Central Coordination Committee.
- (b) Animal Husbandry Commissioner of Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
- (c) Joint Secretary or Equivalent Officer from Urban Development Ministry, Government of India
- (d) Joint Secretary or Equivalent officer from Ministry of Panchayati Raj Department, Government of India
- (e) Chairperson, Animal Welfare Board of India
- (f) Chairperson, Veterinary Council of India
- (g) President, Indian Veterinary Association
- (h) Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare
- (i) Two Representatives of prominent State Animal Welfare Boards actively engaged in animal birth control coordination in the State
- (j) An officer at the level of Joint Secretary of the Administrative Ministry administering the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, shall be the Member Secretary of the Central Monitoring and Coordination Committee.

Functions of the Central Monitoring and coordinating Committee: The Central Monitoring and Coordination Committee shall have the following functions:

- (i) To monitor proper implementation of the Animal Birth Control Rules.
- (ii) To promote the Animal Birth Control Programme and arrange budgetary provision for the animal birth control in the states.
- (iii) To facilitate inter- ministerial coordination and also resolve the issues related to Animal Birth Control.

- (iv) Matter related to policy intervention required for Animal Birth Control Programme.
- (v) Any other matter related to Animal Birth Control programme.
- (vi) May hear complaints in regard to the cancellation of recognition of Animal Welfare Organisation and pass necessary direction or order to the Board as the case may be.
- (vii) Keep a watch on the national and international development in the field of research pertaining to street dogs' control and management, development of vaccines and cost-effective methods of Sterilisation, vaccination, etc.

Meeting of the Committee: The Central Monitoring and Coordination Committee shall meet once in six months or as and when necessary.

2. State Implementation and Monitoring Committee:

States intent to carry out the Animal Birth Control Programme shall constitute the State Implementation and Monitoring Committee. The constitution of the Committee is as under:

- (a) Secretary in-charge of the Urban Development Department or equivalent in the State or Union Territory shall be the Chairperson of the State Monitoring and Implementation Committee.
- (b) Director, Health and Family Welfare Department
- (c) Director, Department of Panchayati Raj
- (d) Director, Urban Development Department (or equivalent)
- (e) Two representatives of the Animal Welfare Board of India
- (f) Two representatives of State Animal Welfare Board
- (g) Representative of the Indian Veterinary Association of the State Chapter
- (h) President, State Veterinary Council of the Concerned State.
- (i) Administrative heads of at least two municipal corporations, and representatives of at least two panchayats, and at least two municipal councils in that state or union territory
- (j) Officer In-Charge of the State Animal Welfare Board shall be the Member Secretary as well as the nodal officer for implementing the program in each state and union territory.

Note: No representative of the Board or State Board should be directly involved in the Animal Birth Control Programme as Implementing Agency.

Functions of the State Monitoring and Implementation Committee:—The State Monitoring and Implementation Committees shall be responsible to carry out the following functions namely:

- (i) the setting up of Animal Birth Control Monitoring Committees at the local authority levels as required by the Animal Birth Control Rules.
- (ii) developing a comprehensive district wise plan (including but not limited to infrastructure, budget, etc. for dog population management in urban and rural areas throughout the state.)
- (iii) enlisting Animal Birth Control Implementing Agencies possessing of the requisite training and experience, recognised by the Animal Welfare Board of India to carry out the Animal Birth Control Programme as per the District and State Plan. This may include the animal husbandry department of the State working in consultation with and the under the technical guidance of the Animal Welfare Board of India.
- (iv) ensuring that the requisite infrastructure is set up, and other capital costs (including but not limited to fully furnished Animal Birth Control facilities/campuses with ambulances and equipment), and all other expenses for successfully running an animal birth control program, including manpower costs, are made available to the Animal Birth Control Implementing Agencies from the local authorities, and reimbursed in a timely manner as required by rule 6 of the Animal Birth Control rules.
- (v) responsible for overall monitoring of the Animal Birth Control Programme in the State by the Local Authorities.

- (vi) the State Monitoring Committee shall also carry out inspection on receipt of any complaints regarding the Animal Birth Control and Cruelty to Animals during the Birth Control Program and violation of Animal Birth Control Rules and take appropriate action.

Meeting of the Committee:- The Committee shall meet once in every three months or as and when necessary.

3. **Constitution of Local Animal Birth Control Monitoring Committee:-**No Animal Birth Control Programme shall be carried without constitution of the Local Animal Birth Control Monitoring Committee. The establishment of Animal Birth Control Monitoring Committee at the local level in accordance with Animal Birth Control Rules is indispensable for the success of the Animal Birth Control program. The Committee shall be constituted with the following members:

- (a) Municipal Commissioner or Executive Officer of the local authority, who shall be the ex-officio Chairman of the Committee.
- (b) A representative of the Public Health Department of the District.
- (c) A representative of the Animal Husbandry Department of the nearby Block or District.
- (d) A jurisdictional veterinary doctor
- (e) A representative of the district Society for Prevention of Cruelty to Animals

Functions of the Committee:-The committee shall be responsible for planning and management of dog control programme in accordance with these rules. The committee may:

- (i) Issue instructions for catching, transportation, sheltering, sterilisation, vaccination, treatment and release of sterilized vaccinated or treated dogs.
- (ii) Authorize veterinary doctor to decide on case to case basis the need to put to sleep critically ill or fatally injured or rabid dogs in a painless method by using sodium pentathol. Any other method is strictly prohibited. To be decided through a sub-committee comprising of two veterinary officers and a representative of a recognised animal welfare Organisation. The sub-committee shall specify reasons in writing for euthanasia of each animal.
- (iii) Creating public awareness and solicit co-operation and funding.
- (iv) Providing guidelines to pet dog owners and commercial breeders from time to time.
- (v) Take such steps for the purpose of monitoring the dog bite cases and to ascertain the reasons of dog bite, the area where it took place and whether it was from a stray or a pet dog. For the purpose details may be collected from Human Hospital in a requisite format.
- (vi) Arrive at an estimate of the number of dogs within its territorial limits by conducting a census in the manner advised by the AWBI.
- (vii) Ensure development of the infrastructure required to execute the Animal Birth Control program for the estimated number of dogs. In order to do this, detailed project reports shall have to be prepared and submitted to the State Monitoring and Implementation Committee in coordination with the state government.
- (viii) The infrastructure shall be designed in such a manner to carry out area-wise animal birth control in a phased manner of at least 70 percent dogs in the targeted area before a new area is taken up. The infrastructure shall include, but not be limited to pre-operation preparation areas, Operation Theatres, post-op care, kennels, kitchen, store rooms for rations and medicines, parking area, residential rooms for veterinarians and attendants, quarantine wards, ambulances, etc.

SCHEDULE-III

[see rule 13]

Progress Report of Animal Birth Control program

	Date :	Dispatch No. :
Month / Year	:	
Name of PIA*	:	
Name of Local Body	:	
Address of ABC Center	:	

S. No.	Name of Veterinary Practitioner - Doctor	Qualification	Registration No.	Registering Authority	No. of Surgeries Conducted in preceding month	No. of Post Operative Complications	Mortality in the preceding month
1.							
2.							
3.							
4.							
GRAND TOTAL FOR THE MONTH							

Date and Signature of Project In-charge Vet of **PIA*** :

Date and Signature of MVO/ JVO**	Date and Signature of DVO**
Name of MVO/ JVO	Name of DVO
Stamp of MVO/ JVO	Stamp of DVO

* PIA : Project Implementing Agency

** MVO: Municipal Veterinary Officer deployed by Local Body.

** JVO : Jurisdictional Veterinary Officer deployed at Govt. Veterinary Hospital of the area.

**DVO: District Veterinary Officer of Animal Husbandry Department / Ex-officio Member Secretary of the District SPCA of the concerned District.

Monthly Progress Report of ABC-ARV Project

Date : Dispatch No. :

Month / Year :

Name of PIA* :

Name of Local Body :

Address of ABC Center :

Date	No. of Male Dogs	No. of Female Dogs	Total No. of Dogs Covered	No. of Dogs under Observation	Mortality	Verification by MVO/ JVO	Verification by DVO
1st Date of the Month.							
2nd Date of the Month.							

Continued till...							
Last Date of the Month							
GRAND TOTAL							

Date and Signature of Project In-charge Vet of **PIA***:

Date and Signature of MVO/ JVO** Name of MVO/ JVO Stamp of MVO/ JVO	Date and Signature of DVO** Name of DVO Stamp of DVO
--	---

* PIA: Project Implementing Agency

** MVO: Municipal Veterinary Officer deployed by Local Body.

** JVO: Jurisdictional Veterinary Officer deployed at Govt. Veterinary Hospital of the area.

** DVO: District Veterinary Officer of Animal Husbandry Department / Ex-officio Member Secretary of the District SPCA of the concerned District.